Estd. 1926
BCCI BULLETIN
Vol. XXXXVII | 30th November 2016 | No. 11
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

नोटबन्दी पर हिन्दुस्तान अखबार की तरफ से बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में संवाद आयोजित

हिन्दुस्तान द्वारा नोटबंदी पर आयोजित संवाद में उपस्थित चैम्बर के पदाधिकारीगण, विभिन्न व्यवसायिक संगठनों के प्रतिनिधिगण एवं प्रबुद्धगण।

यह कालेधन पर प्रहार है। निर्णय का स्वागत है। भविष्य में इससे देश को फायदा होगा। ये बातें अखबार हिन्दुस्तान की तरफ से 9.11.2016 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभागार में आयोजित संवाद में उभरकर सामने आई।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सहयोग से आयोजित संवाद में वक्ताओं ने कहा कि देश की 70 फीसदी आबादी गांवों में रहती है। वहाँ बैंक नहीं हैं। ऐसे में उनके सामने बड़ा संकट होगा जिसका समाधान निकालने की जरूरत है।

संवाद में दवा कारोबारी, सर्राफा कारोबारी और रियल एस्टेट, सीए, इनकम टैक्स वकील सहित कई प्रबुद्धजनों ने अपनी बातें रखीं।

"निर्णय का स्वागत है। ग्रामीणों व खुदरा व्यवसायी को अधिक परेशानी होगी। सवा सौ करोड़ की आबादी के देश में 60 करोड़ के पास डेबिट व दो करोड़ के पास क्रेडिट कार्ड है। मोहलत दी जानी चाहिए थी।"

– **शशि मोहन**, महासचिव, बीसीसीआई

"प्रधानमंत्री की घोषणा स्वागत योग्य है। आम जनता पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि जिनके पास कोई बैंक खाता नहीं है, वे अपना पैसा कहाँ जमा करेंगे।"

– **डॉ० रमेश गाँधी**, कोषाध्यक्ष, बीसीसीआई

"दवा दुकानदार दवा दे सकते हैं, लेकिन रिटेलर से दवा कैसे खरीदेंगे। रिटेलर का चेक क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है। हालत यह है कि दवा मंडी खुली है, लोग भटक रहे हैं।" – **प्रसन्न कु. सिंह**, अध्यक्ष, बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन

"नोट के इस्तेमाल बंद होने पर इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। रियल इस्टेट का कारोबार बैंक पर आधारित है। इसलिए कारोबार प्रभावित नहीं होगा। जानकारी के अभाव में लोगों में असमंजस है।"

– **एन. के. ठाकुर**, अध्यक्ष, बिल्डर एसो.

दूरदर्शी कदम : गवर्नर

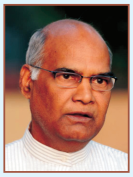

राज्यपाल रामनाथ कोविन्द ने कालेधन पर नियंत्रण पाने के लिए एक हजार एवं पाँच सौ रुपये के नोटों के प्रचलन बंद करने के केन्द्र सरकार के निर्णय की सराहना की और कहा कि यह क्रांतिकारी और दूरदर्शी कदम है। जारी बयान में राज्यपाल ने कहा कि केन्द्र सरकार के इस निर्णय से कालेधन व भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाने में कामयाबी मिलेगी।

सीएम ने नोट बंद करने का किया स्वागत

सीएम नीतीश कुमार ने 500 और 1000 के नोट बंद करने के केन्द्र सरकार के निर्णय का स्वागत एवं समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि शुरूआती दौर में लोगों को थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन कुल मिलाकर इसका लाभ ही होगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा।

ऐतिहासिक कदम

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने भी पाँच सौ और एक हजार के नोटों को रद्द करने के केन्द्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। चैम्बर के अध्यक्ष ओ. पी. साह ने कहा कि यह ऐतिहासिक कदम है। दूरगामी प्रभाव होगा। यह निर्णय देश में आतंकवाद समाप्त करने में भी सहायक होगा।

अध्यक्ष की कलम से......

प्रिय बन्धुओं,

माननीय प्रधानमंत्री जी ने 500 एवं 1000 रूपये के नोटबंदी का जो निर्णय लिया है, वह प्रधानमंत्री जी का ऐतिहासिक, साहसिक एवं स्वागत योग्य कदम है। यह निर्णय देश से कालाधन एवं आतंकवाद को काफी हद तक समाप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त देश से नकली नोट की समस्या का भी निराकरण होगा। देश की अर्थ-व्यवस्था पर भी इस निर्णय का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इस निर्णय से वैसे व्यवसायी जो साफ सुथरा कारोबार करते हैं, उन्हें निश्चित रूप से लाभ होगा। साथ ही जो व्यवसायी गलत तरीके से अपना कारोबार कर रहे हैं उन पर अंकुश भी लगेगा। आम लोगों एवं व्यवसायियों को जो परेशानी हुई है या हो रही है, वह कुछ दिनों की है। केन्द्र सरकार ने परेशानियों को यथासंभव दूर करने के उपाय भी किये हैं।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के इस साहसिक एवं प्रगतिशील निर्णय हेतु उनके प्रति हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।

पहली अप्रील 2017 से देश में GST लागू होने जा रहा है। निबंधित व्यापारियों को परेशानी न हो, इसके लिए चैम्बर ने बिहार सरकार एवं अन्य एजेंसियों के सहयोग से चैम्बर में कई कार्यशालाएँ आयोजित की है।

बिहार में व्यापारियों को GST में इनरॉलमेन्ट कराने की तिथि 1 से 15 दिसम्बर, 2016 निर्धारित है। चैम्बर के प्रयास से दिनांक 30 नवम्बर, 2016 से 15 दिसम्बर, 2016 तक व्यवसायियों को GST पंजीयन की प्रक्रिया की पूरी जानकारी देने एवं किसी भी प्रकार की परेशानी को दूर करने के लिए वाणिज्य-कर विभाग की ओर से चैम्बर प्रांगण में प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक एक प्रशिक्षित कम्प्यूटर ऑपरेटर प्रतिदिन मौजूद रहेगा। सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस सुविधा का लाभ उठाएँ।

आपका

ओ० पी० साह

संवाद की प्रमुख बातें

• प्रबुद्धजनों ने कहा– बैंक विहीन गावों में होगा बड़ा संकट • सरकार को इन समस्याओं का निकालना होगा समाधान • फ्लैट और जमीन की कीमत में आयेगी गिरावट • दवा कारोबार को होगा करोड़ों का नुकसान • ग्रामीण जनता के बारे में कोई व्यवस्था नहीं • सर्राफा बाजार में आएगी तेजी • स्मगलिंग पर लगेगा अंकुश।

सलाह

• जिनके घरों में शादियाँ हैं उनके लिए कुछ रियायत देने की है जरूरत • सरकारी की तरह निजी अस्पतालों में भी पाँच सौ और हजार के नोट लेने की सुविधा • खुदरा देने के लिए स्टॉल लगाये जाने की आवश्यकता है • चेक क्लियरेंस के लिए देना होगा समय • क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से कमिशन को करना होगा खत्म • बैंकों को अपने रवैये में लाना होगा बदलाव।

"पाँच सौ और हजार के नोट पर रोक के बाद टैक्स चोरी रुकेगी। सरकार के निर्णय के साथ खड़े होने की जरूरत है। जहाँ तक बात ग्रामीण की परेशानी की है उनके लिए डाकघरों में पैसा जमा करने की सुविधा दी गई है।"

– **सच्चिदानंद**, बीसीसीआई

"प्रधानमंत्री की घोषणा से पूरा व्यवसाय पैनिक हो गया है। स्कूलों फीस देना भी मुश्किल हो जाएगा। युवाओं को अधिक परेशानी होगी क्योंकि एटीएम से 2000 से अधिक रुपये नहीं निकाल सकते हैं।"

– **के. के. अग्रवाल**, बीसीसीआई

"सर्राफा व्यापारी को परेशानी हो रही थी। पाँच सौ व हजार का नोट बंद होने से इस पर अंकुश लगेगा। लेकिन 16 से लग्न है। कई ग्राहकों ने गहने के लिए एडवांस दे रखे है, उन्हें परेशानी होगी।"

– **विनोद कुमार**, अध्यक्ष, पाटलिपुत्र सर्राफा संघ

"सरकारी अस्पताल व दुकानों पर छूट है। बहुत कम लोग सरकारी अस्पताल में इलाज को जाते हैं। इससे मरीज परेशान होंगे। हर क्षेत्र में परेशानी है। व्यापारियों को कुछ समय देना चाहिए था।"

– **भरत मेहता**, महासचिव, पाटलिपुत्र सर्राफा संघ

"पीएम का यह कदम सराहनीय है। पीएम को लोगों को सहयोग करना चाहिए। इस घोषणा से पहले गाँव के लोगों पर क्या असर पड़ेगा। इसपर सरकार को थोड़ा विचार करना चाहिए। समय देना चाहिए था।"

– **राजेश खेतान**, अध्यक्ष, आईसीएआई

"योजना अच्छी है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए चेक कैंसिल होने पर सीधे कार्रवाई हो। बैंक से निकासी की सीमा सही है पर व्यापारियों के लिए बढ़ायी जानी चाहिए। पॉस मशीन का चार्ज घटे।"

– **महावीर बिदासरिया**, कारोबारी

"रेलवे टिकट, एयरपोर्ट एवं हॉस्पिटल के लिए दो दिन की सुविधा है। लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया है कि जो लोग दो दिन के सफर के लिए ट्रेनों में बैठ चुके हैं, वे 500 एव 1000 नोट का इस्तेमाल कैसे करेंगे।"

– **संजय कुमार**, व्यवसायी

"पाँच सौ और हजार का नोट का बंद किया जाना स्वागत योग्य है। इससे भारतीय मुद्रा मजबूत बनेगी। इसके लिए पीएम नरेन्द्र मोदी ने लोगों से मदद मांगी है। सबको सहयोग करना चाहिए।"

– **संजय तिवारी**, बिहार बैंक कर्मचारी नेता

"घोषणा के बाद लोगों को रोज बैंक जाना पड़ेगा। खासकर व्यापारियों को। सरकार को योजना लागू करने से पहले विचार करना चाहिए, ताकि रोजमर्रा की चीजें आसानी से खरीदी जा सके।"

– **संजय पांडे**, पूर्व उपाध्यक्ष, टैक्सेशन बार एसोसिएशन

"यह घोषणा सराहनीय है। रुपए निकालने की जो सीमा तय की गई है वह कुछ दिनों के लिए है। जिनेक पास खाता नहीं है उनके लिए परेशानी बढ़ेगी। लेकिन दीर्घकाल के लिए यह अच्छा कदम है।" – **अमरेन्द्र कुमार**, इलाहाबाद बैंक

(साभार : हिन्दुस्तान, 10.11.2016)

अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा दूरगामी प्रभाव : चैम्बर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने पाँच सौ एवं एक हजार रूपए मूल्य के पुराने नोटों के रद्द कर नए नोट जारी किए जाने के केन्द्र सरकार के फैसले का गर्मजोशी से स्वागत किया है। केन्द्र सरकार के इस निर्णय को एक ऐतिहासिक कदम की संज्ञा देते हुए चैम्बर के अध्यक्ष ओ. पी. साह ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस निर्णय का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री के इस साहसिक एवं प्रगतिशील निर्णय के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय देश में आतंकवाद को समाप्त करने में बहुत हद तक सहायक साबित होगा। साथ ही देश से नकली नोटों की समस्या का भी तत्काल निराकरण हो जाएगा। इस निर्णय से वैसे व्यवसायी जो साफ-सुथरा कारोबार करते हैं, उन्हें निश्चित रूप से लाभ होगा। साथ ही यह निर्णय वैसे व्यवसायियों पर अंकुश लगाएगा, जो गलत तरीके से अपना व्यवसाय करते हैं।

श्री साह ने कहा कि केन्द्र सरकार के इस निर्णय से हालांकि अस्थायी रूप से कुछ दिनों तक आम जनता एवं व्यवसायियों को थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, परंतु केन्द्र सरकार ने इस परेशनियों को यथासंभव दूर करने के उपाय भी किए हैं।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 10.11.2016)

देशहित में उठाया गया कदम

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के महामंत्री शशि मोहन ने कहा कि काले धन के खिलाफ यह सर्जिकल स्ट्राइक है। आतंकवादियों की तो कमर टूट जाएगी। काला धन रखने वालों को नींद नहीं आएगी और जाली नोट का कारोबार भी खत्म होगा। भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। छोटे कारोबारियों को थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन देशहित में इस फैसले की जितनी सराहना की जाए कम है।

(साभार : दैनिक जागरण, 9.11.2016)

चैम्बर में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) पर संगोष्ठी आयोजित

संगोष्ठी को संबोधित करते वाणिज्य-कर विभाग के अपर सचिव श्री अरूण कुमार मिश्रा। उनकी दाँयीं ओर क्रमशः चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया, महामंत्री श्री शशि मोहन एवं कोषाध्यक्ष डॉ० रमेश गाँधी।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 19 नवम्बर, 2016 को मेसर्स इंडियनसियेटर के सहयोग से जी.एस.टी. पर एक कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला की अध्यक्षता चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया ने की।

इस अवसर पर जी.एस.टी. विशेषज्ञ वाणिज्य-कर विभाग के अपर सचिव श्री अरूण कुमार मिश्रा, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त श्री अजिताभ मिश्रा, फाउन्डर जीएसटी सेवा डॉट कॉम के सी०ए० श्री मनीष मल्होत्रा, निदेशक श्री प्रकाश कुमार एवं निदेशक श्रीमती मधुलिका सरकार उपस्थित थे।

अपने स्वागत संबोधन में उपाध्यक्ष श्री मधुकरनाथ बरेरिया ने सर्वप्रथम मेसर्स इंडियनसियेटर के सहयोग से बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा आयोजित आज की कार्यशाला में सभी का स्वागत किया।

श्री अरूण कुमार मिश्रा जी का राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों की ओर से विशेष रूप से हार्दिक अभिनन्दन किया जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकालकर चैम्बर द्वारा आयोजित आज की कार्यशाला में भाग लेने की कृपा की है। उन्होंने वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त श्री अजिताभ मिश्रा एवं श्री मनीष मल्होत्रा का भी स्वागत किया। आप सभी जानते हैं कि जीएसटी बिल दोनों सदनों से सर्वसम्मति से पारित हो चुका है और भारत सरकार की ओर से ऐसी तैयारी की जा रही है कि यह नया कानून अप्रील 2017 से पूरे देश में प्रभावी हो जाए। जीएसटी के लागू होने से न सिर्फ राजस्व की वसूली बढ़ेगी, बल्कि व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियों में भी सहजता आएगी।

श्री बरेरिया ने कहा कि चैम्बर प्रयासरत है कि नई कर प्रणाली लागू होने के पूर्व सदस्यों को उसकी पूर्ण जानकारी हो जाए जिससे कि उन्हें रोज की व्यवसायिक गतिविधियों में किसी प्रकार की परेशानी न हो। उसी को देखते हुए पूर्व में भी चैम्बर की ओर से जीएसटी पर इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन पूर्व में भी किया गया है और उसी कड़ी में आज की यह कार्यशाला आयोजित है।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए वाणिज्य-कर विभाग के अपर सचिव एवं जीएसटी विशेषज्ञ श्री अरूण कुमार मिश्रा ने कहा कि जीएसटी के वर्त्तमान प्रस्ताव के तहत निबंधन कराने वाले उद्योग एवं व्यापार का निबंधन कार्य तीन दिनों में पूरा होगा। निबंधन ऑन लाईन एवं ऑफ लाईन भी किया जा सकेगा। जो व्यापारी पहले से वैट के तहत निबंधित है, उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी। उन्होंने आगे कहा कि वर्त्तमान प्रस्ताव के अनुसार एक अप्रैल, 2017 के बाद किसी भी प्रकार के कागजात जीएसटी के तहत जमा होंगे तो उसको डिजिटल हस्ताक्षर करना होगा। जिस कागजात में डिजिटल हस्ताक्षर नहीं होगा, उसे आधार से लिंक करते हुए ई-सिग्नेचर करना होगा। नये नियम के अनुसार अब गिफ्ट हैंपर पैक पर भी टैक्स लगेगा। उन्होंने कहा कि ई-पोर्टल के जरिये माल बेचने वालों को कम्पाउडिंग की सुविधा नहीं मिलेगी। हालांकी इंटर स्टेट परचेज पर यह सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने कहा मॉडल जीएसटी लॉ में कई परिभाषाएँ बदली हैं। कैपिटल गुड्स की भी परिभाषा बदली है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए हार्ड कॉपी देने की जरूरत नहीं होगी। ये कागजात अब डिजीटली साईन होंगे। जो व्यापारी इस समय निबंधित हैं वे अगले साल एक अप्रील से जीएसटी में माइग्रेट कर जायेंगे।

श्री मिश्रा ने आगे बताया कि 24-25 नवम्बर को जीएसटी काउंसिल की बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में पूर्व में प्राप्त संशोधन प्रस्तावों पर विचार होगा। इसके बाद एक कार्यशाला का आयोजन कर प्रस्तावित कानून की रूपरेखा निर्धारित की जायेगी। इस संबंध में सभी व्यवसायियों को ईमेल एवं विज्ञापन द्वारा जानकारी दी जा रही है। कार्यशाला में सी०ए० श्री मनीष मल्होत्रा ने पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से सदस्यों को जीएसटी की बारीकियों की जानकारी दी।

कार्यशाला में महामंत्री श्री शशि मोहन, कोषाध्यक्ष डॉ० रमेश गाँधी, वैट उप-समिति के संयोजक श्री डी० बी० गुप्ता सहित कई सदस्यों ने अपने विचार रखे।

इस अवसर पर चैम्बर सदस्य, प्रेस एवं मीडिया बन्धु काफी संख्या में उपस्थित थे।

जीएसटी पंजीयन पर चैम्बर में कार्यशाला

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज एवं बिहार सरकार के वाणिज्य -कर विभाग के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को चैम्बर प्रांगण में जीएसटी एनरॉलमेन्ट पर एक कार्यशाला आयोजित हुई।

कार्यशाला की अध्यक्षता चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया ने की। इस अवसर पर वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त श्री संतोष कुमार, श्री राजेश कुमार, श्री प्रमोद कुमार, श्री शंकर मिश्रा एवं सहायक आयुक्त श्री अजिताभ मिश्रा सहित विभिन्न व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि भारत सरकार की ओर से पूरी तैयारी चल रही है ताकि यह नई कर प्रणाली जीएसटी अप्रील 2017 से पूरे देश में प्रभावी हो जाये और चैम्बर भी प्रयत्नशील है कि सदस्यों को नई कर प्रणाली लागू होने से पूर्व इसकी सारी जानकारियों से अवगत करा दिया जाये ताकि दैनिक व्यावसायिक गतिविधियों में किसी प्रकार

कार्यशाला को संबोधित करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया। उनकी दाँयीं ओर क्रमशः उपाध्यक्ष श्री ओ० पी० टिबड़ेवाल एवं महामंत्री श्री शशि मोहन।

की असुविधा न होने पाये। उसी के आलोक में आज जीएसटी एनरॉलमेन्ट पर कार्यशाला का आयोजन चैम्बर में किया गया है। उन्होंने वाणिज्य-कर विभाग को भी कार्यशाला में सहयोग कर जीएसटी के प्रावधानों एवं बारीकियों की जानकारी देने हेतु विभागीय पदाधिकारियों को हार्दिक धन्यवाद दिया। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि जीएसटी पर आयोजित आज की कार्यशाला से राज्य के उद्यमी एवं व्यवसायी लाभान्वित होंगे।

वाणिज्य-कर विभाग के संयुक्त आयुक्त श्री राजेश कुमार ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के सभी व्यवसायियों को अनिवार्य रूप से वैट से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में माइग्रेट करना है। इसके लिए पंजियन 30 नवम्बर, 2016 से शुरू हो जायेगा जो 15 दिसम्बर, 2016 तक होगा। इसके बाद पंजियन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि एक अप्रील, 2017 से प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली लागू होना है। इसके प्रथम चरण में वैट के तहत जो निबंधित कारोबारी हैं उनका ही निबंधन होगा। विभाग को वैट के तहत निबंधित कारोबारियों की सूची उपलब्ध करा दी गयी है। उन्होंने अनुरोध किया कि कारोबारी अपना पैन कार्ड अपडेट करा लें। राज्य के 80 प्रतिशत पैन कार्ड सही पाये गये हैं। श्री कुमार ने कहा कि सबसे पहले जीएसटी के तहत निबंधन उन्हीं कारोबारियों या डीलरों का होगा जिन्होंने सीएसटी, इ.टी. और टीन नम्बर ले रखा है। उन्होंने बताया कि पंजीयन से पूर्व विभाग ने हर प्रकार के खामियों को दूर करने का प्रयास किया है क्योंकि, वैट निबंधन में खामियों के फलस्वरूप कारोबारी एवं विभाग को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वैसी समस्या जीएसटी पंजीयन में न हो, इसके लिए काफी तैयारी की गयी है।

सहायक आयुक्त श्री अजिताभ मिश्रा ने इस अवसर पर कहा कि जब तक देश में जीएसटी लागू नहीं हो जाता, तब तक वैट काम करेगा। जीएसटी में निबंधन किये जाने के पूर्व सभी मौजूदा कारोबारियों/कर दाताओं को स्वयं जीएसटी के तहत पंजीयन कराना आवश्यक है। पंजीयन ऑनलाईन होगा। पंजीयन 30 नवम्बर, 2016 की सुबह 9:30 बजे से शुरू हो जायेगा। पंजीयन से संबंधित आवश्यक कागजात जुटाकर, स्कैन कर अपने पास रख लें। ऐसा करने से पंजीयन के समय परेशानी नहीं होगी और मात्र आधे घंटे में पंजीयन हो जायेगा।

वाणिज्य-कर विभाग की ओर से पंजीयन की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से सदस्यों को दी गयी।

इस अवसर पर बताया गया कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में भी 30 नवम्बर से 15 दिसम्बर, 2016 तक जीएसटी पंजीयन हेतु एक हेल्प डेस्क होगा जिसमें दक्ष कम्प्यूटर ऑपरेटर मौजूद रहेगा जो जीएसटी पंजीयन की पूरी जानकारी देगा।

उन्होंने कहा कि पंजीयन हेतु आवश्यक कागजात में कारोबार से संबंधित साक्ष्य, पार्टनरशीप मामले में पार्टनरशीप डीड, अन्य मामलों में व्यवसायिक प्रतिष्ठान का निबंधन प्रमाण- पत्र जो किसी अन्य राजकीय संस्था की ओर से जारी किया गया हो। प्रोमोटर्स, पार्टनर व एच.यू.एफ. कर्त्ता का फोटो, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता बनाये जाने का साक्ष्य, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता का फोटो, बैंक पासबुक का पहला पन्ना, बैंक एकाउन्ट स्टेटमेन्ट जिसपर खाता संख्या, बैंक शाखा का पता, खाताधारक का पता और आई.एफ. एस.सी. कोड अंकित हो, प्रतिष्ठान का ईमेल आई.डी. आदि पास में रखें।

कार्यशाला के दौरान कई सदस्यों ने जीएसटी पंजीयन से संबंधित प्रश्न किये जिनका उत्तर वाणिज्य-कर पदाधिकारियों ने दिया।

कार्यशाला में चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री ओ० पी० टिबड़ेवाल, कोषाध्यक्ष डॉ० रमेश गाँधी, महामंत्री श्री शशि मोहन सहित चैम्बर सदस्य एवं प्रेसबंधु काफी संख्या में उपस्थित थे।

कार्यशाला में उपस्थित बाँयें से क्रमशः वाणिज्य-कर विभाग के संयुक्त आयुक्त श्री संतोष कुमार, संयुक्त आयुक्त श्री राजेश कुमार, संयुक्त आयुक्त श्री प्रमोद कुमार, संयुक्त आयुक्त श्री शंकर मिश्रा एवं सहायक आयुक्त श्री अजिताभ मिश्रा।

'हर घर बिजली लगातार' निश्चय के उद्घाटन मौके पर 439.97 करोड़ की योजनाओं का मुख्यमंत्री ने किया शिलान्यास

• ग्रिड उप केन्द्र मधेपुरा, नवगछिया, वैशाली, गंगवारा, जमुई, आरा और बिहटा में 50 एमवी के अतिरिक्त ट्रांसफार्मर का अधिष्ठापन • भागलपुर संचरण अंचल के छह ग्रिड उपकेन्द्र में 55 की संख्या में 33 केवी लाइन वे का निर्माण • पूर्णिया संचरण अंचल के 10 ग्रिड उपकेन्द्रों में कुल 80 की संख्या में 33 केवी लाइन वे का निर्माण • मुजफ्फरपुर संचरण अंचल के 21 ग्रिड उपकेन्द्रों में 181 की संख्या में 33 केवी लाइन वे का निर्माण • गया संचरण अंचल में 13 ग्रिड उपकेन्द्रों में 96 की संख्या में 33 केवीए लाइन वे का निर्माण • डेहरी आन सोन संचरण अंचल में 14 ग्रिड उपकेन्द्रों में कुल 116 की संख्या में 33 केवी लाइन वे का निर्माण • बिहारशरीफ संचरण अंचल में 8 ग्रिड उपकेन्द्रों में 76 की संख्या में 33 केवी लाइन वे का निर्माण • पटना संचरण अंचल के 11 ग्रिड उपकेन्द्रों में कुल 103 की संख्या में 33 केवी लाइन वे का निर्माण • कुल 17 की संख्या में 220 केवी एवं 132 केवी संचरण लाइन की रिकंडक्टरिंग 1011.3 सीकेएम।

देशभर के लोगों की निगाह बिहार पर: उप-मुख्यमंत्री

उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि देश भर के लोगों की निगाह बिहार पर है। यहाँ हर क्षेत्र में काम हो रहा है। जिस घर में बिजली नहीं पहुँची है उसकी तकलीफ का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब "हर घर बिजली लगातार" से सभी घरों को अगले दो वर्ष में बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। इसके बाद लोगों की शिकायतें दूर हो जाएँगी।

बिजली पहुँचने के बाद बड़े कार्यक्रम की जरूरत नहीं

ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा कि हर घर बिजली मिल जाने के बाद कोई बड़े कार्यक्रम की जरूरत नहीं होगी। बिजली के क्षेत्र में यहाँ तक पहुँचने में ग्यारह वर्ष लगे है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो वादा है वह निश्चित ही पूरा होगा। बिहार सरकार एडीबी से त्रण लेकर अपना काम इस क्षेत्र में कर रही है। यह केन्द्र सरकार का पैसा नहीं है।

समय से पूरे होंगे बिजली संबंधित कार्य: प्रत्यय

ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि सात निश्चय के तहत हर घर बिजली लगातार निश्चय की योजनाएँ समय सीमा के अंदर पूरी होंगी। कुछ जिलों में अपेक्षाकृत काम की गति जरूर धीमी है पर वहाँ भी समय सीमा के अंदर काम होगा। प्रत्यय अमृत ने कहा कि अभियंताओं को करेंट से होने वाली दुर्घटनाओं से बचने को सेंसेटाइज किया जा रहा है।

(साभार : दैनिक जागरण, 16.11.2016)

बिहार में शराबबंदी में नहीं मिलेगी रियायत : सी.एम.

• बिहार मद्यनिषेध व आबकारी कानून, 2016 पर राज्य सरकार ने किए थे सुझाव आमंत्रित • कुल 1,122 सुझाव, जिनमें ज्यादातर आए थे शहरी इलाकों से • रियायत की मांग करने वालों में ज्यादातर महिलाएँ।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में शराबबंदी में किसी प्रकार की रियायत से साफ इनकार किया है। उनके मुताबिक इस बारे में किसी भी समझौते से सारा काम बिगड़ जाएगा। वैसे, इस मुद्दे को लेकर 'लोक संवाद' कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लोगों ने रियायत की मांग की।

(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 15.11.2016)

50% वस्तुएं टैक्स फ्री तंबाकू पर ज्यादा कर

जीएसटी **5,12,18 और 28 फीसदी होंगी कर की दरें**

जीएसटी परिषद की हुई बैठक में गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) लिए चार अलग-अलग कर ढांचे को मंजूरी दी। ये दरे हैं- 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी। इसमें खाद्यान्न जैसी आवश्यक वस्तुओं को शून्य कर दायरे में रखा गया है, जबकि सामान्य उपभोग की ज्यादातर वस्तुओं पर पाँच प्रतिशत कर लगाया जायेगा। इससे महंगाई को कम रखने में मदद मिलेगी। इसके विपरीत आलीशान कारों, तंबाकू, पान मसाला, वातित पेय पदार्थों जैसी वस्तुओं पर सबसे ऊँची दर से जीएसटी लगेगा। इन पर अतिरिक्त उपकर और स्वच्छ ऊर्जा उपकर भी लगेगा।

दो दिवसीय बैठक के पहले दिन केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी के कर ढांचे की घोषणा की। परिषद से मंजूर कर ढांचे को संसद से मंजूरी लेनी होगी। जीएसटी में केन्द्र और राज्यों में लगने वाले करीब-करीब सभी अप्रत्यक्ष कर समाहित हो जायेंगे। जेटली के मुताबिक, आम आदमी पर महँगाई का बोझ नहीं पड़े, इसके लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) में शामिल खाद्यान्न और दूसरी जरूरी वस्तुओं सहित करीब 50 फीसदी वस्तुओं पर कोई कर नहीं लगेगा, जबकि दूसरी सामान्य वस्तुओं पर पाँच प्रतिशत की सबसे निम्न दर पर कर लगाया जायेगा।

जेटली ने बताया, 'इस बात पर सहमति बनी है कि जिन वस्तुओं पर 30 से 31 प्रतिशत की दर पर कर लगता है, उन पर अब 28 प्रतिशत की दर से कर लगेगा, लेकिन इसमें एक शर्त होगी। शर्त यह है कि इस वर्ग में कई सामान हैं, जिनका बड़ी संख्या में लोग इस्तेमाल करने लगे हैं, खासतौर से मध्यम वर्ग के लोग। ऐसे में उनके लिए 28 अथवा 30 या 31 प्रतिशत की दर ऊँची होगी। इसलिए हम इन्हें 18 प्रतिशत की दर में हस्तांतरित कर रहे हैं।'

यह पूछे जाने पर कि क्या आम आदमी पर कर बोझ कुछ कम होगा, जेटली ने कहा, 'उम्मीद है कि ऐसा होगा।' जेटली ने कहा कि खाद्यान्न पर शून्य दर से कर लगेगा, ताकि मुद्रास्फीति दबाव कम से कम रखा जा सके। ऑटोमोबाइल पर जीएसटी से बारे में पूछे जाने पर जेटली ने कहा, 'कार और लग्जरी कार में फर्क होता है। कारें 28 प्रतिशत के दायरे में आयेंगी जबकि लग्जरी कार मालिक इससे कुछ अधिक कर दे सकतें हैं।'

उन्होंने कहा कि राज्यों को उनके राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए कर की दर ऊँची रखने से उपभोक्ताओं पर काफी बोझ पड़ता, लेकिन उपकर लगाने से दाम नहीं बढ़ेंगे। अतिरिक्त उपकर और स्वच्छ उर्जा उपकर दोनों से मिलने वाली राशि को अलग कोष में रखा जायेगा। इस राशि का इस्तेमाल राज्यों को होने वाली राजस्व हानि की भरपाई के लिए किया जायेगा। यह व्यवस्था जीएसटी लागू होने के पहले पाँच साल तक रहेगी। पाँच साल के आखिर में कोष में यदि कोई राशि बचती है, तो उसे केन्द्र और राज्यों के बीच बांट दिया जायेगा। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि केन्द्रीय जीएसटी और एकीकृत जीएसटी कानून संसद के आगामी सत्र में पारित हो सकते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविन्द पनगढ़िया ने जीएसटी परिषद के फैसले पर ट्वीट किया, 'जीएसटी दरों पर सहमति बनना बड़ी सफलता है।'

आप को क्या फायदा : आम लोगों को फायदा इस पर निर्भर करता है कि पाँच व 12 फीसदी के स्लैब में किन वस्तुओं को रखा जायेगा। सूची एक समिति तैयार करेगी। ज्यादातर वस्तुओं के मामले में उन पर लगनेवाली उत्पाद शुल्क दर जमा वैट दर को मिला कर ही उनकी जीएसटी तय होगी। सेवा को भी स्पष्ट किया जाना बाकी है।

अनाज पर नहीं लगेगा कोई टैक्स लग्जरी कारों पर लगेगा उपकर : लग्जरी कारें, तंबाकू, कार्बोरेटेड पेय पदार्थों पर उपकर लगाया जायेगा। इसके साथ ही इन पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर के अलावा एक और उपकर लगाया जायेगा, जिससे मिलने वाली राशि का इस्तेमाल राज्यों को राजस्व में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किया जायेगा। उपकर के जरिये बनने वाला' मुआवजा कोष' पाँच साल के लिए रहेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी लागू होने के पहले साल में राज्यों को उनके राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए 50, 000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

जीएसटी के चार स्लैब : • **पाँच फीसदी :** रोजमर्रा के इस्तेमाल की सामान्य वस्तुएं इसके दायरे में • **12 फीसदी :** मानक दर, ज्यादातर वस्तु व सेवा इसी दायरे में • **18 फीसदी :** मानक दर, साबुन, तेल, शेविंग स्टिक, टूथपेस्ट जैसे उत्पाद • **28 फीसदी :** वैसी वस्तुएँ जिन पर अभी 30 से 31% तक कर लगता है। लग्जरी गाड़ियाँ, पान मसाला, कोल्ड ड्रिंक आदि।

सस्ते होंगे : टीवी, एसी, फ्रिज, सामान्य कारें व वॉशिंग मशीन • **महंगे होंगे :** आभूषण, सिगरेट • **सोना पर संशय :** केन्द्र ने चार प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने का प्रस्ताव किया है, जबकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दो प्रतिशत लगाने पर जोर दिया। बहरहाल इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(साभार : प्रभात खबर, 4.10.2016)

जीएसटी की नई व्यवस्था में डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी जमा कर सकेंगे टैक्स

जीएसटी की नई व्यवस्था में कारोबारी डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी टैक्स जमा कर सकेंगे। नया पोर्टल www. gst. gov.in लाइव कर दिया गया। हालांकि अभी इस पर मौजूदा करदाताओं को नई व्यवस्था में शिफ्ट करने का काम होगा। जीएसटी के लिए जरूरी 60% सॉफ्टवेयर तैयार कर लिए गए हैं। इन पर परीक्षण का काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा। जीएसटी नेटवर्क के चेयरमैन नवीन कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वैट चुकाने वाले 65 लाख, सर्विस टैक्स चुकाने वाले 20 लाख और एक्साइज ड्यूटी चुकाने वाले तीन-चार लाख हैं। इन्हें नए पोर्टल पर शिफ्ट करने का काम शुरू हो गया है। यहाँ से हर असेसी को नया प्रोविजनल पहचान नंबर जएसटीआईएन जारी किया जाएगा। नए रजिस्ट्रेशन अप्रैल 2017 से शुरू होंगे। उन्होंने बताया कि अभी कारोबारियों को एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और वैट के लिए अलग रिटर्न भरने पड़ते हैं। नई व्यवस्था में 50 लाख रु से कम टर्नओवर और कंपोजिशन स्कीम वालों को हर तिमाही और बाकी को हर महीन एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। वे डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी टैक्स जमा कर सकेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, रिफंड, रिटर्न फाइलिंग और टैक्स जमा सब जीएसटी नेटवर्क पर किया जा सकेगा।

करदाताओं को ऐसे करना होगा रजिस्ट्रेशन : जीएसटी नेटवर्क पर असेसी को शिपट करने के बाढ़ उनके पहचान नंबर (जीएसटीआईएन) केन्द्र और राज्य सरकारों को दिए जा रहे हैं। वे इन्हें असेसी को देंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए करदाता को पोर्टल पर इस नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉग इन करना होगा। इसके बाद उन्हे अपनी कंपनी के बारे में बेसिक जानकारी भरनी होगी। जीएसटी लागू होने के बाद 6 माह तक कारोबारी सूचनाएं जमा कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन से कारोबारियों को रिटर्न फाइल करने और रिफंड क्लेम करने में मदद मिलेगी। टैक्स वापसी का दावा भी उन्हें यहीं करना होगा।

(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 9.11.2016)

राज्यों को बाहर से आने वाले सामान पर एंट्री टैक्स लेने का हक

राज्य सरकारों को दूसरे सूबों से आने वाले सामानों पर प्रवेश कर (एंट्री टैक्स) लगाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस संबंध में राज्यों के कानूनों को वैध ठहराया है। शीर्ष अदालत ने 7-2 के बहुमत से दिए फैसले में कहा कि राज्यों की ओर बनाए गए प्रवेश कर कानून को संविधान के अनुच्छेद 304 बी के तहत राष्ट्रपति की सहमति लेने की जरूरत नहीं है। इस फैसले से कंपनियों को बकाया कर के रूप में लगभग 30 हजार करोड़ रुपये चुकाने पड़ सकते हैं।

चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली नौ न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि राज्य सरकारों को दूसरे सूबों से आने वाले सामान पर टैक्स लगाने की शक्ति है। अलबत्ता वे सामान के बीच कोई भेदभाव नहीं कर सकती हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर कोई राज्य अपने यहाँ निर्मित उत्पादों पर प्रवेश कर लगाता है तो उसे दूसरे सूबों से आने वाले वैसे ही सामान पर अधिक टैक्स लगाने की शक्ति नहीं है। संविधान पीठ ने बहुमत से 'स्थानीय क्षेत्र' शब्द पर फैसला सुनाने की जिम्मेदारी नियमित छोटी पीठ पर छोड़ दी। छोटी पीठ तय करेगी कि क्या यह शब्द समूचे राज्य के संदर्भ में है या उसके क्षेत्र के भीतर कुछ हिस्सों के बारे में है। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर, जस्टिस एके सीकरी, एसए बोबडे, एसके सिंह, एनवी रमन्ना, आर भानुमति व एएम खानविलकर ने बहुमत फैसला दिया। जबकि डीवाई चन्द्रचूड़ और अशोक भूषण ने अलग अल्पमत का फैसला सुनाया। जस्टिस भानुमति ने कुछ बिंदुओं पर असहमति जताते हुए एक अलग निर्णय भी पढ़ा। उनकी राय में 'स्थानीय क्षेत्र' से आशय राज्य के समूचे भूभाग से है।

नौ न्यायाधीशों की पीठ ने केन्द्र सरकार की दलील को दरकिनार करते हुए प्रवेश कर के मामले में इस साल 19 जुलाई को सुनवाई शुरू की थी। केन्द्र ने अनुरोध किया था कि शीर्ष अदालत संसद में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) बिल पास होने तक इंतजार करे। पीठ ने 20 अक्टूबर पर ही इस मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर लिया था।

क्या था यह मामला : राज्य सरकारें प्रवेश कर दूसरे सूबे से आने वाले सामान पर लगाती है। यानी जिस प्रदेश में वस्तुएं आती है, वही एंट्री टैक्स वसूलता है। कई राज्य सरकारों के प्रवेश कर के प्रावधान को कुछ कंपनियों ने इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी कि यह टैक्स संविधान के अनुच्छेद 301 की मुक्त व्यापार और वाणिज्य की संकल्पना के खिलाफ है।

(साभार : दैनिक जागरण, 12.11.2016)

बीस लाख रुपए तक का कारोबार जीएसटी से बाहर

• जीएसटी लागू करने से संबंधित विधेयकों पर विचार-विमर्श के लिए चार प्रारूप तैयार किए जायेंगे

20 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक का कारोबार करने वाले कारोबारी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के दायरे से बाहर रहेंगे। जीएसटी परिषद की दो दिन तक चली बैठक के बाद केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बैठक में सभी राज्यों के बीच यह आम राय थी कि किसी के साथ भी विशेष व्यवहार नहीं किया जा सकता। कर का आकलन करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और इससे करदाताओं तथा उद्योग को लाभ होगा।

उन्होंने कहा कि कर निर्धारण के लिए दो संस्था नहीं हो सकती। इसलिए इस जटिल और महत्वपूर्ण विषय के लिए स्पष्ट दिशा निर्देशों की जरूरत है। सभी कर अधिकारियों को कर के संबंध में प्रशिक्षित किया जाएगा और उसके संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जायेंगे। (साभार : राष्ट्रीय सहारा, 5.11.2016)

जीएसटी पर सहमति की कवायद

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि जीएसटी से जुड़े मतभेद वाले मुद्दों, विशेषतौर पर कर अधिकार क्षेत्र जैसे मुद्दों पर आम अहमति बनाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि एक अप्रैल 2017 से इसे लागू किया जा सके। उन्होंने कहा, 'हम वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) को एक अप्रैल 2017 से शुरू करने के सभी प्रयास कर रहे है। यदि देरी होती है तो भी इसे 16 सितम्बर 2017 तक लागू कर दिया जाएगा और अगर यह तब तक लागू नहीं होता है तो राज्य कर में से अपना हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसलिए इस फैसले में और देरी करने की गुंजाइश नहीं है।' जेटली ने निराशा जताई कि भारत ने पिछले ढाई साल में कारोबार की स्थिति सुगम करने के लिए जो प्रयास किए वैश्विक रेटिंग एजेंसियों ने उन पर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया।

जेटली ने कहा कि इस अवधि में देश में बेहद प्रतिकूल वैश्विक वातावरण में कामकाज किया है। उन्होंने कहा, 'मैं कहूँगा कि हमने जिस प्रकार के कदम उठाए हैं, हमारे प्रयासों को अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से उसकी पूरा श्रेय नहीं मिला है।'

(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 11.11.2016)

जमीन मालिकों को कार्यालय का नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर

जिस भी कर्मचारी के स्तर पर भू-अर्जन के मामलों में लापरवाही बरती जायेगी, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। भू-अर्जन प्रशासन की यह पहली प्राथमिकता है और कर्मचारियों की लापरवाही से भू-अर्जन की गति धीमी हो जाती है और राज्य व राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं प्रभावित होती हैं। ये बातें को डीएम संजय कुमार अग्रवाल ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को भू-अर्जन की समीक्षा बैठक के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि भू-अर्जन के मामलों में संबंधित अंचल में कैंप कार्यालय खोलने का निर्देश दिया गया है। भुगतान के लिए फॉर्मेट बनाया गया है और पारदर्शिता लाने के लिए अभिलेखों के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया है। उन्होंने कहा कि संबंधित अंचल के कर्मचारी सभी जमीन मालिकों के आवेदन लेंगे और इसकी जांच के बाद अभिलेख को नियमानुसार भुगतान के लिए जिला भू-अर्जन कार्यालय भेजेंगे। अंचल कार्यालयों में जिला भू-अर्जन कार्यालय के कर्मचारियों की प्रतिनुक्ति की गयी है। इससे आवेदकों को भू-अर्जन कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

आवेदन के साथ जमीन मालिक देंगे ये पेपर : • नोटिस की प्रति • वसीका/खतियान • राजस्व रसीद (मूल प्रति) • भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (मूल में) • वशांवली शपथ पत्र (मूल में) (दंडाधिकारी द्वारा निर्गत) • अनापत्ति शपथ पत्र (मूल में) (कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत) (वसीका स्वंय हो तो आवश्यक नहीं) • बंटवारा का साक्ष्य • पहचान पत्र • बैंक पास बुक की छाया प्रति

(साभार : प्रभात खबर, 9.11.2016)

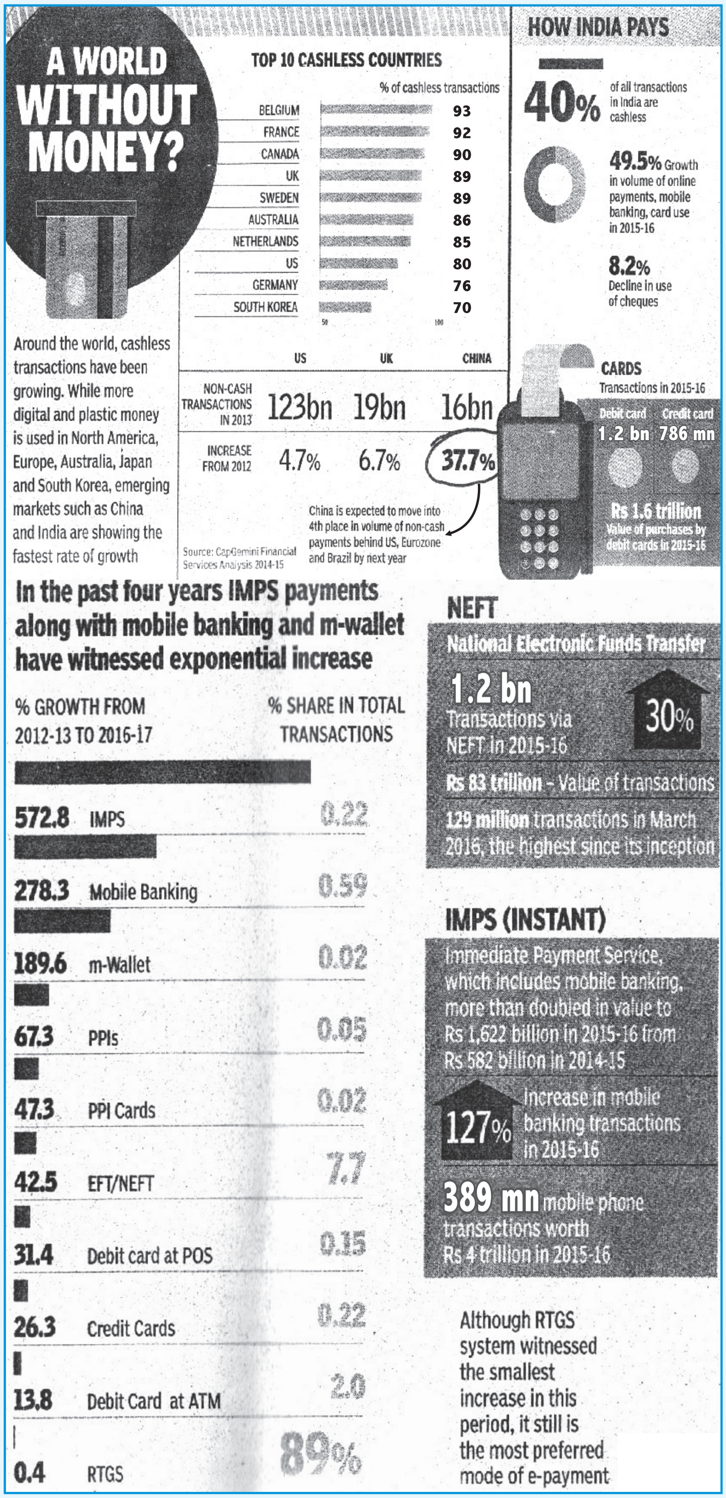

(Source : Times of India 14.11.2016)

चीनी मिलों के लिए बनी नीति

पहल : गन्ना आपूर्ति को क्षेत्रीय किसानों से करार करेंगी मिलें

- जरूरत का 70 प्रतिशत तक गन्ना स्थानीय स्तर पर ही खरीदना होगा
- करार के मुताबिक गन्ना नहीं खरीदने पर देनी होगी पेनाल्टी

चीनी मिलों को पेराई सीजन के दौरान गन्ना की आपूर्ति के लिए सरकार ने नीति बनाई है। स्थानीय किसानों से गन्ना की काफी कम खरीद की वजह से इस नीति की आवश्यकता महसूस की गयी। चीनी मिलें अपने क्षेत्र में उत्पादित गन्ने का मात्र 40 प्रतिशत तक ही उपयोग कर रहीं थीं। शेष आपूर्ति बाहर से हो रही थी। नयी नीति के तहत अब स्थानीय स्तर पर आवश्यकता की 70 प्रतिशत तक खरीद आवश्यक होगी।

सूत्रों के अनुसार इस नीति के तहत चीनी मिलों को स्थानीय गन्ना किसानों के साथ करार करना होगा। यह करार उन किसानों से होगा जिनके नाम से खेत हैं, या वे उस खेत में हिस्सेदार हैं। पट्टे पर दिए गए खेतों के सिलसिले में यह करार पट्टेदारों के साथ किया जाएगा। आपूर्ति के लिए पिछले दो तीन सालों के उत्पादन के रिकार्ड और जीपीएस मैपिंग को आधार बनाया गया है। प्रति हेक्टेयर 68 टन गन्ना के उत्पादन का औसत मानकर करार होगा। अगर किसी चीनी मिल ने आवश्यकता से अधिक का करार कर लिया है तो उन्हें इसमें संशोधन का मौका दिया जाएगा। लेकिन, जितना गन्ना सप्लाई करने का करार होगा, उसका 85 प्रतिशत तक चीनी मिलों को अनिवार्य रूप से खरीदना होगा। ऐसा नहीं करने पर उन्हें पेनाल्टी देनी होगी। गन्ना आपूर्ति, गन्ना तौल, गन्ने का मूल्य एवं उसके भुगतान की प्रक्रिया के लिए गन्ना उद्योग विभाग ने अलग से साफ्टवेयर का इंतजाम किया है। किसानों को भुगतान उनके बैंक खाते में इलेक्ट्रानिक क्लीयरेंस के माध्यम से किया जाएगा। सैनिक, भूतपूर्व सैनिक एवं स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों को गन्ना आपूर्ति में पहली जनवरी, 2017 से 20 प्रतिशत की प्राथमिकता दी जाएगी।

(साभार : दैनिक जागरण, 3.11.2016)

बिहार सरकार

उद्योग विभाग

विकसित बिहार के 7 निश्चय के अन्तर्गत

बिहार स्टार्टअप नीति 2016

नए स्टार्टअप को आमंत्रण

रजिस्ट्रेशन के लिये अपना ऑनलाइन आवेदन करें

www.startup.bihar.gov.in

बिहार स्टार्टअप नीति : स्टार्टअप बिहार में समावेशित और निबंधित कोई कंपनी जिसका वार्षिक लेन-देन पाँच वर्ष पूर्व की अवधि में किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो और जो प्रौद्योगिकी अथवा बौद्धिक संपत्ति द्वारा नवीकरण अथवा विकास या नये प्रॉडक्ट्स के वाणिज्यिकरण प्रक्रिया अथवा सेवा का कार्य कर रही हो।

• सीड कैपिटल रु० 10 लाख तक • Incubation/ Mentoring का सपोर्ट • 5 सालों तक अनुज्ञप्ति/निबंधन से छूट • 5 सालों तक सरकारी विनियामक ऐजेंसियों द्वारा निरीक्षण की छूट •कॉमन आधारभूत संरचना की सुविधा •500 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड।

विकसित बिहार के 7 निश्चय के अन्तर्गत

आर्थिक हल युवाओं को बल के अंतर्गत युवाओं को उद्यमिता विकास एवं स्टार्टअप कैपिटल हेतु रुपये 500 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड का गठन।

प्रत्येक कार्य दिवस को 10 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक

सम्पर्क करें : उद्योग मित्र, भूतल, इंदिरा भवन आर. सी. एस पथ, पटना– 1, बिहार

Email: us info@udyogmitrabihar.com.

Ph. : + 91(612)2547695, 7858895780, 9507229900, 9308693500

(साभार : प्रभात खबर, 15.11.2016)

बसों पर सीटों की संख्या के आधर पर लगेगा रोड टैक्स

कैबिनेट के फैसले : चेसिस खरीद वाहन बनवाने वाले को पहिए के आधार पर देना होगा टैक्स

वाहन कंपनियों द्वारा बनाई बसों समेत व्यावसायिक वाहनों पर व्हील बेस की बजाय सीटों की संख्या के आधार पर रोड टैक्स लगेगा। वहीं चेसिस खरीद कर बस या अन्य वाहन बनवाने वालों पर व्हील बेस के आधार पर ही टैक्स लिया जाएगा। कैबिनेट ने जिला परिवहन कार्यालयों और बस मालिकों के बीच टकराव को खत्म करने के लिए बिहार वित्त अधिनियम 2014 (बिहार अधिनियम 15, 2014) में संशोधन कर दिया है। नई व्यवस्था में अधिनियम की धारा 5 (2) (क) में लिखे सभी परिवहन वाहनों के बाद कोष्ठक में धारा 5 (2) (ख) द्वारा आच्छादित के अतिरिक्त का उल्लेख किया जाएगा।

जारी होगा बस कोड : कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि पहले चेसिस खरीद कर ऑपरेटर द्वारा मनमाफिक बॉडी बनवा लेने की व्यवस्था थी। अब देश में एआईएस - 052 बस कोड जारी किया गया है। इससे बस की बॉडी बनवाने में कंपनियों द्वारा निर्धारित मानक का पालन करना अनिवार्य हो गया है। बिहार वित्त अधिनियम 2014 में धारा 5 (2) (क) में सभी परिवहन वाहनों पर लागू लिखा हुआ है, जबकि धारा 5 (2) (ख) में कंपनी द्वारा निर्मित वाक्य दर्ज है। परिवहन विभाग कहता था कि कंपनी द्वारा निर्मित वाहन भी सभी प्रकार के वाहनों की श्रेणी में आता है, इसलिए विभाग के अधिकारी व्हील बेस के आधार पर टैक्स लगाने की बात करते थे। जबकि कंपनी द्वारा सीटों के साथ निर्मित बसें खरीदने वाले ऑपरेटर विभाग का आदेश मानने को तैयार नहीं थे। (साभार : दैनिक भास्कर, 9.11.2016)

150 से 350 रुपए में करे पर्यटक स्थलों की सैर

बिहार टूरिज्म बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने बिहार में पर्यटक मौसम को देखते हुए की है यह पहल

बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड बिहार में पर्यटक मौसम को देखते हुए आगामी 12 नवंबर से नए टूर पैकेज शुरू करने जा रहा है। इसके तहत अब 12 नवंबर 2016 से 31 मार्च 2017 तक प्रत्येक शनिवार, रविवार और छुट्टी के दिन एक दिवसीय टूर पैकेज संचालित किया जाएगा। इसके तहत पटना दर्शन, पटना-वैशाली-पटना, पटना-बोधगया-पटना, पटना-राजगीर-नालंदा-पावापुरी, रूट के लिए विशेष बसें चलाई जाएंगी।

पटना दर्शन के पैकेज के तहत पर्यटकों को 150 रुपए प्रति व्यक्ति के टिकट पर डबल डेकर बस से गुरुद्वारा, कुम्हरार, खुदाबख्श लाइब्रेरी, गोलघर म्यूजियम, इको पार्क, चिड़ियाघर घुमाया जाएगा। पटना-वैशाली-पटना के पैकेज में 250 रुपए प्रति व्यक्ति के टिकट पर बस से पर्यटकों को वैशाली स्थित राजा विशाल का गढ़, विश्व शांति स्तूप, अभिषेक पुष्कर्णी, अशोक पिलर का भ्रमण करवाया जाएगा। पटना-बोधगया-पटना के पैकेज में प्रति व्यक्ति 350 रुपए के टिकट पर बस से बोधगया के महाबोधि मंदिर, 80 फीट लार्ड बुद्धा, विभिन्न देशों के मॉनेस्ट्री आदि का भ्रमण करवाया जाएगा।

वहीं पटना-राजगीर-नालंदा-पावापुरी के पैकेज में पर्यटकों को 350 रुपए के टिकट पर बस से पावापुरी जल मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर, राजगीर गर्मकुंड, वीरायतन, सोन भंडार, वेनुवन, विश्वशांति स्तूप, रोपवे आदि का भ्रमण करवाया जाएगा। इसके बारे में जानकारी देते हुए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के जनसंपर्क पदाधिकारी राजेन्द्र सिंह कहते हैं कि इस टूर पैकेज में मात्र परिवहन सुविधा दी जाएगी। पर्यटक विशेष जानकारी के लिए निगम कार्यालय अथवा मोबाइल नंबर 8544418401 या 8544418301 पर संपर्क कर सकते हैं। (साभार : दैनिक भाष्कर 9.11.2016)

दूर हुई पैसे की बाधा, पहाड़ी पर तीन साल में बनेगा अंतरराज्यीय बस टर्मिनल

सहूलियत हुडको कर्ज देने के लिए राजी, कैबिनेट ने जनवरी 2014 में योजना को दी थी मंजूरी

• 25 एकड़ में किया जाना है निर्माण • 331.71 करोड़ की राज्य सरकार ने दी योजना को मंजूरी • 260 करोड़ रुपए का कर्ज हुडको ने दिया है।

राजधानी में नए अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) बनाने का रास्ता साफ हो गया है। 331.61 करोड़ की लागत से बनने वाले इस टर्मिनल की योजना को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। हुडको ने इस परियोजना के लिए 260 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर किया है। इस योजना में राज्य सरकार बाकी 71.61 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के रूप में देगी।

पहाड़ी पर प्रस्तावित इस नए आईएसबीटी का निर्माण करीब 25 एकड़ भूमि पर किया जाना है। राज्य मंत्रिमंडल ने दो जनवरी 2014 को इस योजना को मंजूरी दी थी। हुडको से कर्ज लेकर बुडको (बिहार राज्य आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड) द्वारा इसका निर्माण कराया जाना था, लेकिन बैंक गारंटी नहीं देने के कारण यह योजना लटक गई। राज्य सरकार की गारंटी के बाद अब इसके निर्माण का रास्ता खुल गया है। जल्द ही टेंडर कर निर्माण कंपनी को काम की अनुमति दी जाएगी। इसका निर्माण तीन साल में पूरा किया जाना है।

आठ मंजिला होगा टर्मिनल : आईएसबीटी में चार ब्लॉक का निर्माण होना है। सभी आठ मंजिला होंगे। अंतरराज्यीय और राज्य के अंदर चलने वाली बसों के लिए अलग-अलग स्टैंड का निर्माण कराया जाएगा। यात्रियों के लिए टर्मिनल पर शॉपिंग मॉल, ई टायलेट और कैटरिंग की सुविधा उपलब्ध होगी।

तीन हजार बसें यहाँ से चलेंगी : नए बस टर्मिनल से प्रतिदिन तीन हजार बसों का परिचालन होगा। यहाँ से बिहार और बिहार से बाहर जाने वाली बसों का परिचालन होगा। फिलहाल मीठापुर स्थित बस स्टैंड से बसों का परिचालन किया जाता है। यहाँ से प्रतिदिन छह सौ बसों का परिचालन होता है। लेकिन मीठापुर बस स्टैंड में पीने का पानी, शौचालय आदि बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। (साभार : दैनिक भास्कर, 10.11.2016)

जलमार्ग से देश के बड़े शहरों से जुड़ेगा पटना

विकसित होगा जलमार्ग : • मास्टर प्लान में पटना में जलमार्ग विकसित करने की तैयारी • नदी किनारे टर्मिनल बनाकर उसे सड़क से जोड़ा जाएगा • गंगा के किनारे बसे शहरों को जलमार्ग से जोड़ा जाएगा • 100 से अधिक नदियों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है देश में।

पटना की सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने के लिए जलमार्ग विकसित करने का विचार है। पटना मास्टर प्लान, 2031 में इसकी रूपेखा बनी है। योजना के तहत रेल और हवाई मार्ग के साथ ही पटना में गंगा नदी में जल परिवहन नेटवर्क बनाने की संभावनाओं का भी जिक्र किया गया है। पिछले दिनों माटर प्लान के प्रजेंटेशन के सिलसिले में पटना आए अहमदाबाद के विशेषज्ञ उत्पल शर्मा ने गंगा में अंतरराज्यीय जलमार्ग विकसित करने की पुरजोर वकालत की।

पटना में मास्टर प्लान अब लागू हो गया है। इसमें सड़क मार्ग के अलावा अन्य परिवहन नेटवर्क में जलमार्ग विकसित करने की भी योजना है। इसके मुताबिक नदी के किनारे टर्मिनल बनाकर उसे सड़क कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए। इस तरह सड़कों पर वाहनों की संख्या घटेगी। जाम से भी लोगों को निजात मिलेगा। पटना सिटी में प्रकाशोत्सव को लेकर फिलहाल गंगा में रूट और सड़क संपर्क बनाने पर मंथन चल रहा है। यह योजना सफल रही तो इसे आगे भी जारी रखने का विचार है।

फिलहाल, प्रकाशोत्सव लेकर दानापुर से पटना सिटी तक गंगा में फेरी सर्विस शुरू की जानी है। इसके लिए बीच के दीघा या नासरीगंज, कलक्टेरियट, गांधी घाट, गाय घाट और कंगन घाट में टर्मिनल बनाया जाएगा। भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण की योजना बाद में वाराणसी, बक्सर, कोलकाता, भागलपुर और मुंगेर शहर को भी नदी मार्ग से जोड़ने की है। बाद के चरण में वाराणसी से हल्दिया के बीच 1100 किलोमीटर में गंगा में चैनल के रखरखाव की योजना है।

नदी में बड़े-छोटे टर्मिनल बनाए जाएंगे : बताया गया कि देश की 100 से अधिक नदियों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। इनकी डेवलप करने के दौरान गंगा के किनारे बसे अन्य शहरों में भी स्थाई रूप से जल परिवहन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। तब हरिद्वार ऋषिकेश, कानपुर और इलाहाबाद आदि शहरों में भी जहाज और फेरी सेवा शुरू होगी। इसके लिए नदी में बड़े और छोटे टर्मिनल बनेंगे। वहाँ जहाजों की मरम्मत के लिए यार्ड भी होंगे। (साभार : हिन्दुस्तान, 14.11.2016)

Terminal on Ganga to boost Bihar economy

MAJOR BOOST : The terminal will facilitate the diversion of high volume cargo/container movement through the Bihar stretch of the Ganga

An inland waterways authority of India (IWAI) move to set up an inter modal (container) terminal on Ganga at Kalughat in Saran district, about 25 km upstream from the state capital, is projected to give a major boost to economic activity in north Bihar.

The proposed state of the art terminal will facilitate the diversion of high volume cargo/container movement through the Bihar stretch of the Ganga, which is so far being move through expensive road and rail routes.

At present, the Nepal bound cargo that is unloaded at Haldia/Kolkata port takes the rail route or the Kolkata-Raxaul-Birgunj-Kathmandu road transit corridor, which is cost heavy and faces several infrastructural bottlenecks.

"Once the Kalughat terminal is developed, in PPP mode, the transportation of cargo from Kolkata to Nepal can be through waterway (via Kalughat terminal), Which will be much cheaper and makes sound economic sense," said IWAI chairman Amitabh Verma, IAS.

The waterways route could be cheaper by 26 % as compared to the railways and 13% to the road route, when return cargo was available.

"Economic analysis for the loan appraisal by the world Bank has concluded that the project would lead to extensive economic and social development of the hinterland along the banks of Ganga in Bihar;" he added. **(Details : H. T. , 15.11.2016)**

रेल व जलमार्ग की सुविधा एक साथ

पहल : हल्दिया, वाराणसी व साहिबगंज में बनेगा मल्टी मॉडल टर्मिनल

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आइडब्ल्यूएआइ) जलमार्ग को सशक्त बनाने के लिए कार्य कर रहा है। इसी क्रम में वाराणसी से हल्दिया के बीच में लगभग 1300 किलोमीटर में मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण कार्य होगा। इसमें वाराणसी में 169 करोड़ रुपये की लागत से मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण कार्य आरंभ किया गया है। दिसम्बर, 2018 तक कार्य पूरा हो जायेगा, जबकि साहिबगंज में 282 करोड़ रुपये से मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण होगा। हल्दिया में 500 करोड़ से मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण होगा। इस माह कार्य आवंटन किया जायेगा। यह बात भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के चेयरमैन अमिताभ वर्मा ने को गाय घाट स्थिति नीनी में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही। चेयरमैन ने कहा कि फरक्का में नेटिगेंशन लॉक को भी आधुनिक किया जायेगा। विश्व बैंक से 800 मिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट पर 375 मिलियन डॉलर की मिली सहायता व तकनीकी सहयोग से जलमार्ग को सशक्त बनाने की योजना है। राष्ट्रीय जलमार्ग में 106 नदियों में बिहार के दो नदियाँ गंडक व कोसी को भी चयनित किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को प्राधिकरण के निदेशक रविकांत, विश्व बैंक के प्रतिनिधि अर्नब बंधोपाध्याय व वित्त सदस्य आलोक रंजन ने भी संबोधित किया। राष्ट्रीय जलमार्ग की सशक्त करने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण में प्रोजेक्टर ओवर साइड कमेटी की बैठक हुई। अध्यक्षता चेयरमैन अमिताभ वर्मा ने की। बैठक में निदेशक रविकांत विश्व बैंक के अनंब बंधोपाध्याय व वित्त सदस्य आलोक रंजन के साथ चार राज्यों से आये सरकार के प्रतिनिधि के साथ जलमार्ग व रेलमार्ग को सशक्त बनाने के लिए बैठक हुई। जिसमें प्राधिकरण के प्रोजेक्ट को रखा गया। बैठक में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड व उत्तर प्रदेश से सरकार के प्रतिनिधि शामिल हुए।

यहाँ भी बनेगा टर्मिनल : चेयरमैन ने बताया कि उत्तर प्रदेश में गाजीपुर, बिहार में सारण के कालू घाट व पश्चिम बंगाल के त्रिवेणी या कल्याणी में टर्मिनल निर्माण की योजना है। इसके लिए जमीन सरकार उपलब्ध करायेगी। फरक्का से भागलपुर के बीच तीन कंपनियाँ पाँच वर्षों के लिए ड्रेजिंग सिस्टम को दुरुस्त रखेंगी। गंगा में तीन मीटर गहरा व 45 मीटर चौड़ाई में पानी का लेवल हाइड्रोग्राफिक सर्वे से मेंटेन किया जायेगा। जर्मनी के विशेषज्ञ गंगा में जहाज की समीक्षा कर रहे हैं ताकि कम पानी में भी तीन हजार टन की क्षमतावाले कार्गो का इस्तेमाल किया जा सके। जर्मनी के विशेषज्ञ करार के बाद पटना से वाराणसी के बीच में यह सर्वे कर रहे हैं।

दीघा में बनेगा जहाज रिपेयरिंग केन्द्र : चेयरमैन ने बताया कि हल्दिया से वाराणसी के बीच में शिप रिपेयरिग केन्द्र नहीं है। जब कार्गो व्यापारिक वस्तुओं को लाद कर चलेंगी, तो उस समय जहाज में खराबी आने पर दीघा में जमीन देखी गयी है, वहीं पर जहाज रिपेंयरिग केन्द्र बनाने की योजना है। संसद के शीतकालीन सत्र में भारतीय जलमार्ग विधेयक 2016 प्रस्तुत किया जायेगा। चेयरमैन ने बताया कि राष्ट्रीय जलमार्ग के नेटर्क्क निर्माण की दिशा में गंगा के अतिरिक्त 106 नदियों का चयन हुआ है। इनमें बिहार से कोसी व गंडक शामिल हैं। विश्व बैंक के प्रतिनिधि अर्नब बंधोपाध्याय ने बताया कि जलमार्ग सशक्त होने से रोजगार की संभावना बढ़ेगी। **(साभार : प्रभात खबर, 10.11.2016)**

गंगा पथ और गंगा ब्रिज निर्माण की मिली अनुमति

स्टेट इनवायरमेंट इपैक्ट एसेसमेंट ऑथिरिटी (सिया) ने पटना में गंगा किनारे बन रहे गंगा पथ और कच्ची दरगाह से बिदुपुर के बीच गंगा पर बन रहे छह लेन पुल के निर्माण की अनुमति दे दी है। पिछले पखवाड़े सिया ने अलग-अलग कारणों से इन दोनों परियोजनाओं के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी। दोनों प्रोजेक्ट का निर्माण बिहार राज्य पथ विकास निगम की देखरेख में हो रहा है। गंगा पथ के निर्माण के करार के अनुसार गंगा पथ के समानांतर ड्रेनेज का निर्माण कराण जाना है। सिया ने गंगा पथ का निर्माण ड्रेनेज के आधार पर ही बंद करा दिया था। सिया का कहना था कि बिहार राज्य पथ विकास निगम ड्रेनेज के निर्माण को लेकर गंभारी नहीं है। बिहार राज्य पथ विकास निगम का कहना है कि ड्रेनेज निर्माण के लिए उसने कंसलटेंट नियुक्त कर रखे है। ड्रेनेज को किस सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ा जाए अभी यह तय नहीं है।

(साभार : दैनिक जागरण, 11.11.2016)

राज्य में अब प्रधानमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना होगी लागू

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की तर्ज पर

परिवहन के जरिए राज्य के ग्रामीण क्षेत्र जुड़ेंगे शहरों से

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की तर्ज पर केन्द्र सरकार अब प्रधानमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना शुरू करने जा रही है। यानी जिस तरह ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ा गया, उसी तरह परिवहन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ा जाएगा। केन्द्र सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। केन्द्र ने सभी राज्यों के ग्रामीण कार्य विभाग से इस मामले पर मंतव्य मांगा है। परिवहन संचालन का जिम्मा ब्राडा (बिहार ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी) को दिया जाएगा। बस परिचालन का स्वरूप क्या होगा इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। बस परिचालन पर जो खर्च होगा, उसमें केन्द्र व राज्य दोनों की भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री सड़क योजना में अभी केन्द्र व राज्य की हिस्सेदारी 60 व 40 प्रतिशत है। अत: प्रधानमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना में 60 व 40 की ही भागीदारी होगी।

"प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की तर्ज पर प्रधानमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना शुरू होने जा रही है। एक अप्रैल से यह योजना शुरू होगी।" – विनय कुमार, प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग

प्रधानमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना : • 01 अप्रैल 2017 से शुरू होगी योजना • उद्देश्य : ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा बहाल करना व शहरों को गांवों से जोड़ना • केन्द्र व राज्य दोनों करेंगे खर्च वहन।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना : • 25 दिसम्बर 2000 को शुरू हुई थी योजना • उद्देश्य : यातायात की सुविधा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाना • अभी केन्द्र 60, राज्य 40% राशि खर्च रहे।

(साभार : हिन्दुस्तान, 12.11.2016)

महँगी होगी हवाई यात्रा, दूरी पर लगेगा टैक्स

अब आपका हवाई सफर महंगा होने वाला है। सरकार ने फ्लाइट्स की दूरी के आधार पर लेवी या टैक्स लगाने का फैसला लिया है। इससे घरेलू के साथ इंटरनेशनल सफर भी महंगा हो सकता है। सरकार 1000 किमी. तक की दूरी वाली उड़ानों पर 75000 व 1500 किमी. से ज्यादा दूरी की उड़ानों पर 8500

रुपए लेवी या टैक्स लगाएगी। यह कदम देश के छोटे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने की योजना के तहत उठाया गया है। लेवी से जुटाए गए फंड का इस्तेमाल 'उड़ान' योजना के लिए होगा। सरकार रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम के तहत दूरी के आधार पर 85000 रुपए तक लेवी लगाएगी।

(साभार : दैनिक भास्कर, 12.11.2016)

ट्रेन में टीटीई अब नहीं कर सकेंगे सीट अलॉट

रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने टीटीई के हाथों सीट अलॉट करने का अधिकार छीन लिया है। अब ट्रेन के अंदर टीटीई खाली सीट अपनी मर्जी से अलॉट नहीं कर सकेंगे।

खाली बर्थ-सीट स्वत: दूसरे स्टेशन को ट्रांसफर हो जाएगी। उस स्टेशन के वेटिंग के यात्रियों को यह सीटें मिलेंगी यानी यह कोटा वेटिंग यात्रियों को मिलेगा। यह नियम रेलवे ने इसी माह से लागू कर दिया है। इससे टीटीई की अवैध कमाई पर भी रोक लग गई है। अब खुलने वाली ट्रेनों की खाली सीट अगले स्टेशन यानी जहाँ अगला चार्ट बनेगा, को मिलेगी। दूसरे स्टेशन पर बन रहे रिजर्वेशन चार्ट में वेटिंग के यात्रियों को ऑटोमेटिक खाली बर्थ अलॉट हो जाएगी।

(साभार : दैनिक भास्कर, 12.11.2016)

इंडियन रेलवे का होगा कायाकल्प, सरकार ने की भारी निवेश की तैयारी

रेल सुधार : • अगले दो साल में होगा दो लाख करोड़ का निवेश • लाइनों के दोहरीकरण और तिहरीकरण की तैयारी • देशभर में रेल लाइनों के विद्युतीकरण की भी योजना • अगले माह तक पूर्वोत्तर की सभी रेल लाइनें ब्राड गेज होंगी • पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानी में रेल संपर्क होगा • दिल्ली-हावड़ा और दिल्ली-मुम्बई रेलमार्ग सेमी हाईस्पीड बनाने का काम शुरू।

अगले पाँच साल में इंडियन रेलवे का पूरी तरह कायाकल्प हो जाएगा और यह नए रंग रूप में दिखाई देने लगेगी। इंडियन रेलवे मौजूदा नेटवर्क की विस्तार योजना को और गति देने के लिए अगले साल दो लाख करोड़ रुपए से अधिक का पूंजीगत निवेश करेगा जो इस साल के 1.21 लाख करोड़ के पूंजीगत की तुलना में करीब 90 प्रतिशत अधिक है।

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आर्थिक संपादकों के सम्मेलन में प्रसारित वीडियो संदेश में यह जानकारी दी। सम्मेलन में मौजूद रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ए. के. मित्तल ने यहाँ सम्मेलन में इस बारे में चर्चा करते हुए कहा कि यह राशि मौजूदा नेटवक की क्षमता विस्तार में निवेश की जाएगी। दोहरीकरण, तिहरीकरण, विद्युतीकरण, नई लाइनों का निर्माण एवं सिगनलिंग आधुनिकीकरण के माध्यम से रेलवे नेटवर्क की क्षमता विस्तार के लिए पाँच साल में 8.56 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना तैयार की है।

श्री मित्तल ने कहा कि 2014-15 में 45 हजार करोड़ रुपए में 2015-16 में 93 हजार करोड़ रुपए और 2016-17 में एक लाख 21 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और अगले साल दो लाख करोड़ से अधिक का निवेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रेलवे को बजटेत्तर निवेश जुटाने में कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जीवन बीमा निगम से डेढ़ लाख करोड़ रुपए के निवेश का करार है। इसके अलावा बांड और विदेशी निवेश अलग आ रहा है।

उन्होंने बताया कि रेलवे ने पूर्वोत्तर में विशेष ध्यान दिया है और अगले माह के अंत तक पूर्वोत्तर क्षेत्र को रेलवे की मीटर गेज यानी छोटी लाइन को पूरी तरह से मुक्त करके बड़ी लाइन यानी ब्राड गेज में बदल दिया जाएगा। पूर्वोत्तर में तेजी से क्षमता विस्तार का काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 तक पूर्वोत्तर के हर राज्य की राजधानी को रेल नेटवर्क को जोड़ दिया जाएगा। क्षमता विस्तार कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि रेलवे के 16 प्रतिशत मार्ग पर 60 प्रतिशत का यातायात चलता है। इन मार्गों पर क्षमता विस्तार के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ पूर्व में लुधियाना से दानकुनी और पश्चिम में दादरी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (जेएनपीटी) तक समर्पित मालवहन गलियारा(डीएफसी) का काम तेजी से चल रहा है। 2019 तक ये पूरी तरह से चालू हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही दिल्ली-हावड़ा और दिल्ली-मुम्बई मार्ग पर सभी गाड़ियों की अधिकतम गति बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रविघंटा कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इन दोनों मार्गो को सेमीहाई स्पीड मार्ग में बदलने का काम शुरू कर दिया गया है। सिगनलिंग एवं अन्य आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं ताकि 2018 तक गड़ियों को 160 की गीत से चलाया जा सके। ऊर्जा बिल में कटौती के उपायों पर चर्चा करते हुए श्री मित्तल ने कहा कि रेलवे ने ऊर्जा बिल को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। विभिन्न राज्यों से बिजली खरीद के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लिए जा रहे हैं। रेलवे रात के समय में बिजली की आपूर्ति लेगी जो कम दर पर उपलब्ध होगी।

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड से एनओसी ली जा चुकी है जबकि राजस्थान से जल्द ही मिलने की आशा है। रेलवे ने करीब तीन हजार करोड़ रुपए की बचत का लक्ष्य रखा है। (साभार : राष्ट्रीय सहारा, 21.11.2016)

नया कानून : आपके घर-बार के लिए कितना मददगार

यह अधिसूचित रियल एस्टेट ऐक्ट उन कई गलत धारणाओं को समाप्त करता है जो कई दशकों से इस सेक्टर को प्रभावित करती रही हैं।

एक नजर : • मौजूदा परियोजनाओं के लिए एकत्रित बगैर इस्तेमाल वाली रकम का 70 प्रतिशत हिस्सा एक अलग बैंक खाते में रखना होगा • डेवलपर को मूल स्वीकृति प्लान, बाद में किए जाने वाले बदलाव, मौजूदा परियोजनाओं के पूरा होने के लिए नई समय-सीमा के बारे में घोषणा करने की जरूरत होगी • डेवलपर को परियोजना के बारे में होने वाली प्रगति की त्रैमासिक रिपोर्ट सार्वजनिक करना होगा • नए नियम सभी मौजूदा परियोजनाओं के लिए लागू है।

घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा करने वाले रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवलपमेंट) ऐक्ट का अब सकारात्मक असर दिखना शुरू हो गया है। इसे 1 नवम्बर से लागू किए जाने की समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने पाँच केन्द्र शासित प्रदेशों - अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली, दमन-दीव, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ के लिए अधिसूचित कर दिया है। लेकिन गुजरात को छोड़कर कोई भी राज्य इस समय-सीमा पर खरा नहीं उतरा है।

भले ही आपके राज्य ने इस अधिनियम को कार्यान्वित नहीं किया है, लेकिन यह केन्द्र शसित प्रदेशों के लिए अधिसूचित नियमों के समान होगा। ये नियम उन सभी मौजूदा परियोजनाओं के लिए लागू होंगे जिन्हें समापन प्रमाण पत्र नहीं मिला है।

यहाँ यह बताया जा रहा है कि यह अधिनियम खरीदारों के हितों को किस तरह से सुरक्षित बनाता है।

एकतरफा जुर्माना नहीं : डेवलपर सामान्य तौर पर समझौते में एकतरफा जुर्माना रखते हैं। डेवलपर की ओर से परियोजना में विलंब के संदर्भ में डेवलपर की ओर से फ्लैट खरीदार को चुकाए जाने वाले जुर्माने की रकम का या तो जिक्र ही नहीं किया जाता है या फिर इसे प्रति वर्ष महज एक-दो फीसदी के साथ काफी कम रखा जाता है। साथ ही 18 से 24 फीसदी के बीच भुगतान के विलंब की स्थिति में खरीदार पर जुर्माना लगा दिया जाता है। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डेवलपरों ताजा मामलों में राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत ने जुर्माने में इस तरह की असमानता का संज्ञान लिया है।

मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 1100 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से 50 लाख रुपये में 2- बीएचके फ्लैट खरीदता है। यदि वह भुगतान में विलंब करता है तो उसे हर साल 18-24 फीसदी का ब्याज चुकाना होगा। 18 फीसदी की दर पर यह हर महीने 75,000 रुपये बैठता है। डेवलपर के लिए यह महज 4,166-8,333 रुपये प्रति महीने होगा।

यह ऐक्ट इस तरह की विसंगतियों को समाप्त करेगा। इसमें विलंब की स्थिति में दोनों पक्षों के लिए ब्याज दर को मानकीकृत बनाया गया है। इसे एसबीआई की एमसीएलआर से 2 फीसदी अधिक रखा गया है। मौजूदा समय में यह 11.05 फीसदी होगी।

विवाद समाधान : यदि कोई विवाह पैदा होता है तो खरीदार 5,000 रुपये की फीस चुकाकर रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल में शिकायत कर सकता है और उसके बाद नियामक के समक्ष की जाने वाली प्रत्येक शिकायत के लिए फीस 1000 रुपये होगी।

खरीदार और डेवलपर को ट्रिब्यूनल के आदेश पर अमल करने की जरूरत

होगी। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो ट्रिब्यूनल को जुर्माना लगाने या डेवलपर (या खरीदार) को जेल भेजने का भी अधिकार होगा। जहाँ डेवलपर के लिए इसके उल्लंघन की स्थिति में जुर्माने के तौर पर परियोजना की 10 फीसदी लागत चुकानी पड़ सकती है वहीं खरीदार के लिए संपत्ति खरीदने पर चुकाई जाने वाली कीमत का 10 फीसदी हिस्सा जुर्माने के तौर पर देना पड़ सकता है।

यह ऐक्ट एजेंटों को भी कवर करता है जिन्हें नियामक के समक्ष पंजीकृत होने की जरूरत होगी। नियम में संपत्तियों की बिक्री में किसी तरह के भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है। कुछ मिलाकर रियल एस्टेट के मामले में उपभोक्ता फायदे की स्थिति में होगा। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 14.11.2016)**

अदालत के फैसले

ऋण वसूली कानूनों को बनाया सुसंगत

उच्चतम न्यायालय ने पिछले सप्ताह व्यवस्था दी कि डीआरटी कानून के तहत गठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) को प्रतिभूतिकरण कानून के कारण उपजी अपील पर सुनवाई का अधिकार है, बशर्ते विवाद की राशि 10 लाख रुपये से कम हो। न्यायालय का यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि डीआरटी कानून और प्रतिभूतिकरण कानून में 10 लाख रुपये से नीचे की राशि को लेकर कई चीजें बहुत स्पष्ट नहीं हैं। डीआरटी 10 लाख रुपये से नीचे के ऋण विवाद का निपटारा नहीं कर सकता है। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बनाम मुकेश जैन मामले में आवास ऋण की राशि 10 लाख रुपये से कम थी। डीआरटी कानून में कहा गया है कि 10 लाख रूपये से ऊपर की रकम वाले मामले ही डीआरटी के अधिकारक्षेत्र में आते हैं। बाकी सामलों की सुनवाई दीवानी अदालत में होनी चाहिए। लेकिन प्रतिभूति कानून के सुताबिक ऐसे मामलों में दीवानी अदालत की कोई भूमिका नहीं है। इसलिए न्यायालय ने डीआरटी कानून के प्रावधानों को सुसंगत बनाया है। न्यायालय ने कहा कि प्रतिभूतिकरण कानून को तवज्जो मिलेगी और इस मामले में डीआरटी बैंक की अपील पर सुनवाई कर सकता है।

कर्जदार की संपत्ति की बिक्री खारिज

उच्चतम न्यायालय ने पिछले सप्ताह बैंक का ऋण चुकाने में नाकाम व्यक्ति की संपत्ति की नीलामी के जरिये बिक्री को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि बैंक ने इसमें जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी दिखाई। ओएसिस डीलकॉम लिमिटेड बनाम खजाना डीलकॉस लिमिटेड मामले में न्यायालय ने कहा, 'मामला जब डीआरटी और कलकत्ता उच्च न्यायालय में लंबित था तो बैंक नीलामी और बिक्री के लिए कुछ समय तक इंतजार कर सकता था' उसका कहना था कि उच्च न्यायालय और अपीलीय पंचाट ने नीलामी में अनियमितताओं के कारण पहले ही बिक्री खारिज कर दी थी। न्यायालय ने बैंक को निर्देश दिया कि नीलामी में मिली राशि को ब्याज के साथ वापस लौटाया जाए और कर्जदार को ऋण का भुगतान करने की अनुमति दी जाए। अगर कर्जदार ऐसा करने में नाकाम रहता है तो फिर बैंक तय प्रक्रिया का पालन करते हुए फिर से संपत्ति की नीलामी कर सकता है।

बिजली कंपनी दे मुआवजा

भोपाल गैस कांड जैसी भयानक त्रासदियों के मद्देनजर सार्वजनिक जवाबदेही बीमा कानून बनाया गया था लेकिन जागरूकता के अभाव और मुआवजे की बहुत कम राशि के कारण शायद ही कभी इसका इस्तेमाल हुआ है। एक दुर्लभ मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि बिजली वितरण कंपनी हाई टैंशन तारों के कारण हुई मौतों और दुर्घटनाओं के प्रति जवाबदेह है। यह मामला आठ साल के एक बच्चे की करंट लगने से हुई मौत से जुड़ा है। बारातियों को ले जा रही एक बस से सड़क पर लटकता तार छू जाने से बच्चे को करंट लगा। बच्चे के माता-पिता को सार्वजनिक जवाबदेही बीमा कानून के तहत 25, 000 रुपये का मुआवजा मिला। कंपनी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि मोटर वाहन दुर्घटना पंचाट पहले ही 1.8 लाख रुपये का मुआवजा दे चुका है और बच्चे के माता-पिता को और पैसा नहीं मिलना चाहिए। उच्च न्यायालय ने कंपनी की इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि पीड़ित दोनों रकम पाने के हकदार हैं। न्यायालय ने कहा कि कानून के मुताबिक बिजली खतरनाक चीज है। इसलिए कंपनी का दायित्व है कि वह इस खतरे को लोगों से दूर रखे। अगर कोई दुर्घटना होती है तो किसी दोषारोपण के बिना मुआवजा दिया जाना चाहिए क्योंकि यह नो फॉल्ट लायबिलिटी है। न्यायालय ने पिछले सप्ताह चेयरमैन बनाम उजयार सिंह मामले में कहा कि पीड़ित को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि कंपनी की गलती है बल्कि बिजली वितरण कंपनी को यह साबित करने की जरूरत है कि उसके कामकाज में कोई लापरवाही नहीं है।

एसबीआई पर खरीद कर देने का जिम्मा नहीं

उच्चतम न्यायालय ने पिछले सप्ताह एक फैसले में कहा कि भारतीय स्टेट बैंक और उसकी शाखाओं को एक्जिम स्क्रिप्स (आयात नियति लाइसेंस) स्वीकार करने पर खरीद कर देने का दायित्व नहीं है। न्यायालय ने इस मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया। सवाल यह था कि क्या बंगाल वित्त (बिक्री कर) कानून के तहत पंजीकृत डीलर एसबीआई पर ऐसा करने का दायित्व है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के मुताबिक अंकित मूल्य के 20 फीसदी प्रीमियम के भुगतान पर स्क्रिप्स स्वीकार करने पर खरीद कर का प्रावधान है। व्यावसायिक कर अधिकारी बनाम एसबीआई मामले में राजस्व विभाग और कर पंचाट ने एसबीआई के खिलाफ फैसला दिया लेकिन उच्च न्यायालय का फैसला बैंक के हक में था। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। मूल्य के 20 फीसदी प्रीमियम के भुगतान पर स्क्रिप्स स्वीकार करने पर खरीद कर का प्रावधान है।

अदालत ने ओएनजीसी का ऑर्डर खारिज किया

बम्बई उच्च न्यायालय ने जेके सरफेस कोटिंग्स लिमिटेड को तीन वर्ष के लिए प्रतिबंधित करने और उसके भविष्य की निविदाओं में हिस्सा लेने पर रोक लगाने के ओएनजीसी के आदेश को खारिज कर दिया है। यह कंपनी अपतटीय उद्योगों के लिए जंग विरोधी कोटिंग में विशेषज्ञ है और उसका दावा है कि यह देश में इस तरह की अकेली कंपनी है। कंपनी का कहना है कि ओएनजीसी ने जिस तरह की गड़बड़ियों के आरोप लगाए हैं वे अनुबंधात्मक विवादों के दायरे में आती हैं और उस पर प्रतिबंध लगाना न्यायसंगत नहीं है। उच्च न्यायालय ने कहा कि निजी कंपनियाँ दूसरी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा सकती हैं लेकिन किसी सरकारी कंपनी को प्राकृतिक न्याय और समानता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। अगर इन सिद्धांतों का उल्लंघन होता है तो अदालत हस्तक्षेप कर सकती है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि महज कुछ अनुबंधात्मक विवादों के कारण प्रतिबंध लगाना बहुत कठोर फैसला है। न्यायालय ने आश्चर्य जताया कि ओएनजीसी ने इस तरह का कठोर कदम उठाने से पहले कंपनी को जारी कारण बताओ नोटिस में प्रतिबंध के बारे में नहीं बताया और उसे अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया।

अंतराष्ट्रीय पंचाट के पैफसले की पुष्टि

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय पंचाट के फैसले के खिलाफ डालमिया भारत सीमेंट लिमिटेड के आवेदन को पिछले सप्ताह खारिज कर दिया। पंचाट ने स्विट्जरलैंड की कंपनी एक्सट्राटा कोल मार्केटिंग एजी के साथ विवाद में भारतीय कंपनी के खिलाफ फैसला दिया था। दोनों कंपनियों के अनुबंध में यह प्रावधान था कि किसी विवाद की स्थिति में लंदन में इंग्लैंड के कानूनों के मूताबिक कार्यवाही होगी। कर्नाटक में सीमेंट के कारखाने में चक्रवाती तूफान आने से विवाद पैदा हुआ और इसका निपटारा लंदन में अंतरराष्ट्रीय अदालत में हुआ। डालमिया लिमिटेड ने अंतरराष्ट्रीय पंचाट के फैसले पर कई आपत्तियाँ जताते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी। इनमें से एक आपत्ति यह थी कि यह जन नीति के खिलाफ है। न्यायालय ने कंपनी की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय पंचाट के फैसले से इनकार करने का आधार बहुत सीमित है। इनमें वह आधार शामिल नहीं है कि क्या यह फैसला भारतीय कानून की मूल नीति का उल्लंघन है। न्यायालय ने कहा, 'किसी पंजाट के फैसले को लागू करने से इनकार करने के लिए यह आधार पर्याप्त नहीं है कि यह फैसला भारत के हितों के खिलाफ है।'

(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 15.11.2016)

रियल स्टेट में नहीं चलेगी ब्लैक मनी

निगरानी में होगा ट्रांजेक्शन

500 और 1000 रुपये के नोटों की बंदी का असर रियल स्टेट कारोबार पर आनेवाले समय में दिखेगा। फ्लैटों की खरीद में कैश लेस खरीद का दायरा बढ़ने से रियल स्टेट से जुड़ी कंपनियों और बिल्डरों को मनमाने और अधिक पैसा लेने

में परेशानी आयेगी। ट्रांजेक्शन निगरानी में होगा, बीच की दलाली कम हो जायेगी, तो कारोबार में खपत होनेवाली ब्लैक मनी अब सीधे तौर पर ठप हो जायेगी। और खरीदारों को सस्ते में फ्लैट मिलेंगे। बड़े नोटों की तत्काल बंदी और इसका सर्कुलेशन कम करने के सरकार के निर्णय के बाद पटना के रियल स्टेट के कारोबारियों में इसी बात की बेचैनी है।

फ्लैटों की खरीद में आयेगा उछाल : बड़े नोटों का चलन कम होने से ग्राहक भी पैसे का पेमेंट चेक, खाता ट्रांसफर और अन्य कैश लेस संसाधनों से ही करेंगे। ऐसे में टाउनशिप बनाने वाली कंपनी या अपार्टमेंट बनानेवाले बिल्डरों को अपने गैरजरूरी मूल्यों में कमी लानी होगी, क्योंकि उनका पैसा सरकार या बैंक की निगरानी में होगा। फिर फ्लैटों को बेचने के लिए मूल्यों में कमी लाना जरूरी हो जायेगी। ऐसे में स्वाभाविक रूप से फ्लैटों की खरीद में उछाल आने की संभावना है।

निगरानी के बाद गिरेगी रेट : जानकारी के अनुसार फ्लैटों के निर्माण को लेकर उसकी बिक्री में बहुत कुछ अपने कैश लेश या अन्य निगरानी में होते हैं, लेकिन इसके विपरीत जमीन की खरीद और दलाली में पैसे का पेमेंट लोग कैश देकर ही करते हैं। इनके पीछे इनका तर्क होता है कि सरकार को कम सर्किल रेट दिखाया जाये। फिर रजिस्ट्री कराने में जमीन की कीमत बतायी जाये, ताकि रजिस्ट्री शुल्क का रेट कम हो और बैचने या खरीदने वाले को इनकम टैक्स देने में भी अधिक भार नहीं लगे। इस व्यापार में अधिकांश पैसों का कोई रिकार्ड नहीं होता, यानी अधिकांश बार पैसा कालाधन वाला ही होता है। ऐसे में बड़े नोटों का चलन कम होने से लोगों को कैश लेने-देने में परेशानी होगी और समय के साथ इस पर निगरानी रहने से जमीन खरीद-फरोख्त में मंदी आने पर जमीन के भाव भी कम होंगे। इससे मिडिल क्लास फैमिली को फायदा होगा।

रेट कम होगी, तो तेजी आयेगी : पटना के अलावा बिहार में अभी रियल स्टेट का कारोबार सुरत है। इसके पीछे बीते तीन वर्षों से शहर में नक्शा पास नहीं होना, एनजीटी के कारण राजधानी के बड़े क्षेत्र में निर्माण पर रोक और अपेक्षा के अनुरूप शहर का फैलाव नहीं होने का तर्क बताया जाता है। जानकारी के अनुसार अभी शहर में 50 से अधिक अंपार्टमेंट अधूरे पड़े हैं। दानापुर और बिहटा में टाउनाशिप बनाने का कंपनियों के दावे में अभी तक लोग उतना विश्वास नहीं करते। बिल्डरों की धोखाधड़ी के कारण भी कारोबार सुस्त पड़ा है। अब जब सब कुछ बैंक और सरकार की निगरानी में होगा तो लोग फ्लैटों की खरीद में अपना पैसा लगाने में विश्वास करेंगे। अनुमान के मुताबिक रेट में लगभग 40 फीसदी की कमी आने के बाद रियल स्टेट में तेजी आयेगी।

"अभी बड़े नोटों के चलन से कुछ दिनों के लिए रियल स्टेट के कारोबार पर असर होगा। बाद में बड़े नोटों की चलन कम होने और कैश लेश और बैंकों के माध्यम से पेमेंट करने से लोग अपना पैसा विश्वास के साथ लगायेंगे। जमीन का रेट कम होने से लंबे समय में इसका असर पोजेटिव रहेगा।"

– **मणिकांत**, बिल्डर एसोसिएशन पटना चैप्टर

(साभार : प्रभात खबर, 10.11.2016)

आपके 60 रुपए से क्लिन होगा शहर

वेस्ट कलेक्शन के लिए निगम का नया सिस्टम 15 दिसम्बर से

पटना नगर निगम ने डोर-टू-डोर वेस्ट कलेक्शन का रिवाइज्ड टेंडर जारी कर दिया है। इससे पहले भी निगम ने कचरा कलेक्शन के लिए प्लान बनाया था लेकिन फाइनेंसियल स्ट्रचकर न होने की वजह से बोर्ड की मीटिंग में यह खारिज हो गया। निगम ने एक बार फिर रिवाइज्ड प्लान तैयार किया है।

अब नए प्लान के तहत पटनाइट्स को हर महीने कुछ पैसे पे करने होंगे। इसका प्रभाव आम नागरिकों पर किस तरह पड़ेगा? इस नए सिस्टम को बनाने के लिए क्या-क्या प्रक्रिया अपनाई गई? आई नेक्स्ट की यह रिपोर्ट....

किसे कितना देना होगा रुपया : • 60 रुपए हाउस होल्ड या 10 फीट से छोटी दुकान • 300 रुपए दुकान, ढाबा या खाने पीने की अन्य दुकान • 1000 रुपये रेस्टोरेंट वालों को करना होगा पे • 10 हजार रुपये स्टार होटल वालों को देना होगा रुपये • 1000 रुपए व्यवसायिक या सरकारी ऑफिस • 1000 रुपए क्लिनिक, डिस्पेंसरी • 3000 रुपए अस्पताल (50 बड़े तक) • 10 हजार रुपए अस्पताल (50 बेड से अधिक)।

"हमारी कोशिश रहेगी कि एक दिसम्बर को फाइनेंसियल बिड के 15 दिसम्बर तक इसे चालू कर दे। लोग कचरे की परेशानी से मुक्ति चाहते हैं, उसके लिए पे करने को भी तैयार हैं। बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट और ज्यादा कचरा उत्सर्जित करने वाले बड़े बिजनेस पर हमने अधिक चार्ज लगाया है। उम्मीद है यह प्लान सक्सेसफुल होगा।" **–अभिषेक सिंह**, कमिश्नर, पटना नगर निगम

(विस्तृत : आई नेक्स्ट, 14.11.2016)

फिश फेडरेशन दो माह में, बढ़ेगा मछली का उत्पादन

प्रारूप तैयार, कैबिनेट से ली जाएगी मंजूरी

• राज्य में कुल सरकारी तालाब 66747 • निजी तालाबों की संख्या 38403

राज्य स्तरीय फिश फेडरेशन दो माह में बन जाएगा। फेडरेशन के गठन का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इसके माध्यम से मछली पालकों की समस्याएं दूर होंगी। मछली उत्पादन से लेकर बिक्री तक में फेडरेशन की भूमिका होगी। जल्द ही फेडरेशन गठन की प्रक्रिया पूरी कर मंत्रिमंडल से स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।

वर्षवार मछली उत्पादन

वर्ष	उत्पादन	जरूरत
2010-11	2.5 लाख टन	4.25 लाख टन
2011-12	2.75 लाख टन	4.50 लाख टन
2012-13	3.50 लाख टन	5.00 लाख टन
2013-14	4.32 लाख टन	5.81 लाख टन
2014-15	4.70 लाख टन	6.00 लाख टन
2015-16	5.06 लाख टन	6.42 लाख टन

फेडरेशन के माध्यम से सरकारी तालाबों में मछली बीज उत्पादन कराया जाएगा। दूसरे राज्यों से भी बीज लाकर किसानों को सस्ती दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों से उत्पादित मछली की बिक्री की भी व्यवस्था होगी। फेडरेशन उपभोक्ताओं व उत्पादकों के बीच लिंक का काम करेगा। कृषि विभाग के बीज निगम की तरह यह मछली बीज निगम का भी काम करेगा।

जिलों में बहाल होंगे प्रोजेक्ट मैनेजर : विभागीय सचिव इस फेडरेशन के मुख्य अधिकारी होंगे। इनकी अध्यक्षता में ही एक कमेटी होगी, जिसमें मत्स्य निदेशक सहित अन्य अधिकारी और मछली उत्पादन से जुड़े विशेषज्ञ होंगे। अगल-अलग प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर बहाल होंगे। फिश फेडरेशन की जिम्मेदारी होगी कि हर जिले में मछली बिक्री केन्द्र के साथ प्रखंड स्तर पर बिक्री केन्द्र की स्थापना करे। फेडरेशन मछली बीज के साथ मछलियों का खाना (फिश फिड) भी किसानों को सस्ती दर पर उपलब्ध कराएगा।

फेडरेशन का काम : • सरकारी तालाबों में हैचरी बना कर बीच उत्पादन • किसानों को सस्ते दर पर तालाब तक बीज पहुँचवाना • जिलों व प्रखंडों में मछली बिक्री केन्द्र स्थापित कराना • किसानों को मछली का बेहतर कीमत दिलवाना • मछलियों का खाना भी किसानों को सस्ते दर पर उपलब्ध कराना • मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार को रिपोर्ट देना।

(साभार : दैनिक भास्कर, 5.11.2016)

जीएसटी पोर्टल शुरू

• जीएसटीएन का सॉफ्टवेयर 60 फीसद तैयार • जनवरी से शुरू हो जाएगा इस सोफ्टवेयर का परीक्षण • जीएसटी के तहत नया पंजीकरण अप्रैल 2017 से • 65 लाख से अधिक वैटदाताओं को नए पोर्टल पर ट्रांसफर करने का काम शुरू • 20 लाख सेवा करदाता भी नए पोर्टल पर किए जा रहे हैं स्थानांतरित • 05 लाख केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भुगतान करने वाले भी नए पोर्टल पर जाएंगे।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के लिए एक नया और सुगम आनलाइन पोर्टल को शुरू हो गया। इसमें क्रेडिट-डेबिट कार्डो और अन्य तरीकों से कर-भुगतान करना तथा रिटर्न दाखिल करना सुगम हो सकेगा।

जीएसटी प्रणाली के संचालन के लिए करीब 60 प्रतिशत साफ्टवेयर तैयार हो चुका है। जीएसटी के लिए ढांचा और आईटी आधार विकसित करने वाली कंपनी जीएसटीएन ने नए नेटवर्क पर जाने वाले मौजूदा करधारकों के लिए डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डाट जीएसटी डाट जीओवी डाट इन पोर्टल शुरू कर दिया है। अगले साल अप्रैल से 'एक बाजार, एक दर' माडल के लागू होने से पहले

यह राज्य और केन्द्र सरकार के करों के एकीकरण के लिए साफ्टवेयर का परीक्षण करेगा। जीएसटीएन के चेयरमैन नवीन कुमार ने कहा कि 65 लाख से अधिक वैट दाताओं, 20 लाख सेवा करदाताओं तथा 3 से 4 लाख केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दाताओं को नए पोर्टल पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुमार ने कहा कि नए पोर्टल पर जाने वाले करदाताओं के लिए अस्थायी पहचान नंबर जीएसटीआईएन बनाया गया है। जीएसटी के तरत नया पंजीकरण अप्रैल, 2017 से शुरू होगा।

कुमार ने कहा कि नए पोर्टल के जरिये उद्योगपति और व्यापारी जिन्हें अभी तक कई अप्रत्यक्ष करों मसलन उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट के लिए अलग-अलग रिटर्न जमा करना पड़ता था। अब वे एकल मासिक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे और क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड से कर का आनलाइन भुगतान कर सकेंगे। जीएसटीएन एक ऐसा नेटवर्क बना रहा है जिसके अंतर्गत सेवा कर, उत्पाद शुल्क तथा अन्य स्थानीय शुल्कों का भुगतान करने वाले दाआतों का एकीकरण होगा, बल्कि वह इसका आईटी ढांचा भी बना रही है जिससे ऑनलाइन पंजीकरण, रिफंड, रिटर्न जमा कराने तथा करों का भुगतान करने में मदद मिलेगी।

कुमार ने कहा, 'हमने इस पर काम नवम्बर, 2015 में शुरू किया था। साफ्टवेयर विकास का 60 प्रतिशत का काम पूरा हो चुका है। शेष 40 प्रतिशत पर काम चल रहा है।' **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 9.11.2016)**

केन्द्रीय टीम ने माना-बिहार में बाढ़ से हुई क्षति

बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने आई केन्द्रीय टीम ने माना है कि बिहार को काफी नुकसान हुआ है। दो दिवसीय बिहार दौरे में चार जिले में स्थल निरीक्षण, लोगों से बातचीत और विडियो क्लिपिंग के आधार पर बिहार में बाढ़ की भयावहता को स्वीकार किया। टीम की संतुष्टि पर बिहार सरकार ने केन्द्र से क्षतिपूर्ति राशि 4111 करोड़ 98 लाख मिलने की उम्मीद जताई है। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजय रमेश सुले के नेतृत्व में आई सात सदस्यीय टीम भागलपुर-नवगछिया, समस्तीपुर, पटना और अरवल जिले का दौरा करने के बाद राज्य के अधिकारियों के साथ बैठी।

यह है मांग

मद	राशि (करोड़ में)
सहाय्य अनुदान	1300.61
बांध व तटबंध मरम्मत	758.27
नेशनल व एमडीआर सड़क	588.60
ग्रामीण सड़क मरम्मत	383.80
कृषि इनपुट	560.60
घर क्षति अनुदान	271.46
राहत केन्द्र व शिविर	77.87
कपड़ा व बर्तन	58.03
बाढ़ में फंसे लोगों की निकासी	31.90
बिजली पोल	21.36
पेयजल सुविधा	18.37
स्कूल भवन	16.66
हताहतों के परिजनों को अनुदान	9.72
सरकारी भवन	7.91
स्वास्थ्य सुविधाएँ	3.10
पशु राहत शिविर	2.34

आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि टीम को उन स्थानों पर ले जाया गया था जहाँ बाढ़ से हुए नुकसान की बानगी अब भी मौजूद है। जर्जर स्कूल व सड़क, खेत में तबाह फसल, क्षतिग्रस्त घर व अन्य निर्माण स्थलों को देख टीम ने बिहार में बाढ़ की भयावहता की आकलन किया। लोगों से बातचीत की। निरीक्षण के दौरान केन्द्रीय टीम के अधिकारियों ने खुद ही बिहार सरकार के अधिकारियों से पूछा कि वे तटबंध व अन्य क्षतिग्रस्त निर्माण को कब दुरुस्त करेंगे। मनेर में कहा कि अगर तटबंध नहीं बना तो अगले साल अधिक तबाही मचेगी। वहीं टीम ने कृषि विभाग से तय फॉर्मेट में जानकारी माँगी है। पथ निर्माण व ग्रामीण कार्य विभाग से किसी एक जिले में क्षतिग्रस्त सड़कों की सूची मांगी गई है। प्रधान सचिव ने सात दिनों के भीतर यह जानकारी भेजने की बात कही। **(साभार : हिन्दुस्तान, 13.11.2016)**

45 दिन में करना होगा दाखिल-खारिज

राजधानी में जमीन की दाखिल-खारिज अब 45 दिन में करनी होगी। नगर आयुक्त ने निगम कार्यालय सहित सभी अंचल के कार्यपालक पदाधिकारियों को म्यूटेशन के लिए समय का निर्धारण कर दिया है। शहरवासियों को अब सही और गलत का रिपोर्ट हर हाल में 45 दिन में सौंपना होगा। पूर्व में इस मामले में लोगों को छह महीने से साल भर तक निगम कार्यालय का चक्कर काटना पड़ता था। **(साभार : दैनिक भास्कर, 12.11.2016)**

ड्राइविंग लाइसेंस व परमिट शुल्क में होगा इजाफा

ड्राइविंग लाइसेंस व परमिट समेत विभिन्न तरह के शुल्क में वृद्धि के प्रस्ताव पर को राज्य कैबिनेट ने सहमति दी। 20 साल के बाद यह वृद्धि की जा रही है। प्रस्तावित शुल्क को जल्द ही जारी किया जाएगा, जिस पर आम लोगों से सुझाव और आपत्तियाँ एक माह तक ली जाएँगी। इसके बाद राज्य सरकार शुल्क वृद्धि पर अंतिम निर्णय लेगी।

परिवहन विभाग की प्रधान सचिव सुजाता चतुर्वेदी ने बताया कि गाड़ी बेचने पर अब 500 का निरीक्षण शुल्क लगेगा। कंडक्टर का लाइसेंस शुल्क 40 से 150 किया जाएगा। बस चलाने के समय में परिवर्तन करने के आवेदन का शुल्क 3000 लिया जाएगा, जो अब-तक नहीं लिया जाता था। बस का स्थायी परमिट शुल्क 2000 की जगह 7000, निजी वाहन का परमिट शुल्क 500 की जगह 1000 करने का प्रस्ताव है।

कैबिनेट की बैठक : • ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट शुल्क 100 से 450 हो सकता है • बस परिचालन समय में परिवर्तन कराने पर 3 हजार देने होंगे • 20 साल के बाद वृद्धि दिया गया प्रस्ताव • 01 हजार रुपए निजी वाहन शुल्क करने का प्रस्ताव।

शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव : डीएल टेस्ट - 100 रु (प्रस्ताव 450 रु), लर्निंग - 40 रु (प्रस्ताव 450 रु), डुप्लीकेट - 60 (प्रस्ताव 170 रु)

बिहटा हवाई अड्डा से भी उड़ान भरेगा यात्री विमान : पटना के साथ-साथ बिहटा हवाई अड्डा पर भी यात्री विमान उतरेगा और यहाँ से उड़ान भरेगा। इसके लिए बिहटा हवाई अड्डे का विस्तार किया जा रहा है। राज्य कैबिनेट ने बिहटा सैन्य हवाई अड्डा को विकसित और विस्तार के लिए 126 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य योजना से 260.74 करोड़ मुआवजा राशि की प्रशासनिक सहमति दी। 108 एकड़ भूमि इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी को नि: शुल्क दी जाएगी। इसके साथ ही पटना हवाई अड्डा का भी विस्तार होगा। दोनों जगहों पर प्रति वर्ष 15-15 लाख से अधिक यात्री की क्षमता के हिसाब से हवाई अड्डा का विस्तार होगा।

अनुमान है कि वर्ष 2030 तक 30 लाख यात्री पटना और बिहटा हवाई अड्डा से यात्रा करेंगे। उधर, पूर्णिया हवाई अड्डा के विस्तर की प्रक्रिया भी तेज की गई है। इसको लेकर मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह और भारतीय एयरपोर्ट ऑथिरिटी के पदाधिकारियों के बीच बैठक भी हुई।

• भूमि अधिग्रहण को सरकार ने 260.74 करोड़ की मंजूरी दी • 108 एकड़ भूमि इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी को नि: शुल्क दी जाएगी।

पटना एयरपोर्ट का जुलाई में शुरू होगा काम : पटना हवाई अड्डा के विस्तार का काम जुलाई और बिहटा एयरपोर्ट का काम अगले साल अक्टूबर से शुरू होगा। काम दो साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगले साल जुलाई में पहले फेज का काम शुरू होगा। इसमें पटना एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग ऑपरेशन से संबंधित काम शुरू किया जाएगा।

बिहटा का काम अक्टूबर 2019 से शुरू होगा। इसको लेकर उच्चस्तरीय बैठक हुई। इसमें सिविल एविएशन सेक्रेट्री आरएन चौबे, वायुसेना के वाइस मार्शल एमके नाभ व राजेश इसर, बिहार सरकार के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहारोत्रा, एयरपोर्ट निदेशक राजेन्द्र सिंह लहौरिया भी मौजूद थे।

(साभार : हिन्दुस्तान, 16.11.2016)

कम दूरी की ट्रेनों में अब 30 दिन पहले मिल सकेगा आरक्षण

रेलवे बोर्ड को यात्रियों की ओर से मिले सुझाव के आधार पर रेलवे ने अब कम दूरी की ट्रेनों के लिए एक माह पूर्व आरक्षण सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। इससे कम दूरी का सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए सुविधा होगी। ऐसी ट्रेनों में इंटरसिटी एक्सप्रेस, हटिया-पटना एक्सप्रेस, राँची-पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस मुख्य रूप से शामिल हैं। इस संबंध में धनबाद रेल मंडल के वरीय पीआरओ संजय कुमार प्रसाद ने बताया कि बुकिंग की तिथि अभी मुकर्रर नहीं हुई है, लेकिन आनेवाले दिनों में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। इन ट्रेनों में पहले 10 दिन पूर्व आरक्षण की सुविधा लागू थी। **(साभार : दैनिक जागरण, 8.11.2016)**

Be ready to Pay 20 times higher traffic fines!

Be ready to cough up more for violating traffic norms! The Central government is in the process of amending the motor vehicles act, 1988. Once it gets Parliament's node, likely in this winter session, the traffic rule violators will have to pay up to 20 time higher penalty than now.

Sources said the group of minister (GoM), set up by Union minister for road transport and highways (MoRIH) Nitin Gadkari, which met recently in Himachal Pradesh, had already recommended 34 changes in the draft.

The GoM, which has Bihar transport minister Chandrika Rai as member, is likely to discuss the draft bill once or twice before sending its final recommendation. The bill, which was already approved by the Union cabinet in August, might be tabled in Lok Sabha during its coming session, said a MoRTH official.

Rai said the Central government had decided to redraft the act in view of the growing fatality on roads and change in mode and mechanism of vehicles over the past few decades. "The act was last amended in 1988, after which various types of vehicles have come on road. Moreover, about 5 lakh road accidents are reported in the country in which I.5 lakh people lose their lives, "he added.

PROPOSED AMENDMENTS

TYPE OF VIOLATION	OLD PROVISION/ PENALTY	NEW PROVISION/ PENALTY
Disobedience of authority	Rs. 500	Rs. 2000
Unauthorised driving sans licence	Rs. 1000	Rs. 5000
Driving without licence	Rs. 500	Rs. 5000
Driving without seat belts	Rs. 100	Rs. 1000
Driving without helmet	Rs. 100	Rs. 1000
Oversize vehicles.	New	Rs. 5000
Over speeding	Rs. 400	Rs. 1000 to Rs. 2000
Dangerous driving	Rs. 1000	Rs. 5000
Drunken driving	Rs. 2000	Rs. 1000
Overloading of passengers	--	Rs. 1000 per passenger
Driving without insurance	Rs. 1000	Rs. 2000
Offences by juveniles	New	Rs. 25,000/guardians guilty

(Details : H. T. , 14.11.2016)

अब रिटायरमेंट के दिन ही मिल जाएगा पीएफ का पैसा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यों के दावे निस्तारण अब और जल्दी होंगे। ईपीएफओ ने गाइलाइन जारी की है जिसके तहत सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में सात दिन के भीतर दावे निपटाने होंगे जबकि रिटायर हो रहे कर्मचारी के मामले रिटायर होने से पहले निपटाने होंगे। केन्द्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर संगठन द्वारा किये गये उपायों की 26 अक्टूबर को समीक्षा बैठक में जानकारी ली. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने मंत्री को बताया कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर ईपीएफओ ने रिटायर होने वाले सदस्यों और मृत्यु वाले मामलों को निपटाने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है।

शिकायतों का होगा निवारण : मंत्रालय के अनुसार यह गाइडलाइन फील्ड स्टाफ को जारी करते हुए निर्देश दिया गया है कि सदस्य की मृत्यु के मामलों के दावे सात दिन में भीतर निपटाने के लिए समुचित कदम उठाएं। रिटायरमेंट के मामले में दावे रिटायर होने वाले दिन या इससे पहले निमटा दिये जाने चाहिए। इस पर भी जोर दिया गया है कि सोशल मीडिया पर मिलने वाली शिकायतों को तत्परता से निपटाया जाए और जवाब दिया जाए, ईपीएफओ ने कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान कानून 1952 का अपना 64 वां घोषणा दिवस मनाया। इस मौके पर दत्तात्रेय ने मुख्य अतिथि के तौर पर समारोह में हिस्सा लिया और संगठन की उपलब्धियों का जायजा लेने के अलावा भविष्य की योजना के बारे में जानकारी ली। **(साभार: आई नेक्स्ट, 3.11.2016)**

मौत होने पर मिलेंगे एक लाख

14 दिन के भीतर यह जाँच पूरी होगी। जिलाधिकारी जाँच के 30 दिनों के भीतर भुगतान बीडीओ के माध्यम से होगा।

बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना में राज्य के प्रवासी मजदूरों की मृत्यु हो जाने पर एक लाख का अनुदान उनके परिजन को मिलेगा। अगर कोई आत्महत्या कर लेते हैं या मादक पदार्थ के सेवन के बाद हुई दुर्घटना में मृत्यु होती है तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा। परमाणु विकिरण और युद्ध के कारण हुई मृत्यु में योजना का लाभ मिलेगा। राज्य के रहने वाले वैसे सभी प्रवासी मजदूरों को इसका लाभ मिलेगा जिनकी उम्र 18 से 65 साल के बीच हो। श्रम आयुक्त राज्य स्तर पर एवं जिला स्तर पर श्रम अधीक्षक इस योजना के प्रभारी होंगे। बीमा रहने की स्थिति में भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

कैसे मिलेगा लाभ : दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद जिलाधिकारी, श्रम अधीक्षक या प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ संबंधित फार्म या सादे कागज पर आवेदन देना होगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी इसकी जाँच करेंगे।

किसे मिलेगा लाभ : ट्रेन या सड़क दुर्घटना, साँप काटना पानी में डूबना। आग, वृक्ष या मकान से गिर जाना, जंगली जानवर की वजह से आतंकवादी या आपराधिक आक्रमण की स्थिति में।

इसमें भी मिलेगा लाभ : • 75000 रुपया पूर्ण स्थायी अपंगता (दो अंग या एक आँख के खराब) पर • 37500 रुपया आंशिक अपंगता की स्थिति में मिलेगी मदद। **(साभार : प्रभात खबर, 16.11.2016)**

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

सत्यमेव जयते

----

9 अग्रहायण 1938 (श.)

(सं. पटना 1020) पटना, बुधवार, 30 नवम्बर 2016

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं

29 नवम्बर 2016

एस. ओ. 291, दिनांक 30 नवम्बर 2016- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (11, 1948) की धारा- 5 की उप धारा (2) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा-3 की उप धारा-(1) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप धारा-1 के खण्ड-(बी) के अधीन अधिसूचित प्रस्ताव पर प्राप्त सभी अभ्यावेदनों पर विचार करने तथा बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद से भी परामर्श करने के पश्चात् बिहार राज्यपाल निम्नांकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कुछ कोटि के कर्मचारियों के लिए श्रम संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या-3822, 3823 दिनांक 06.09.2016 में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण करते हैं जैसा कि इसके साथ अनुबद्ध अनुसूची के स्तंभ- 3 में उक्त अनुसूची के स्तंभ- 2 में तत्संबंधी प्रतिवष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रत्येक कोटि के कर्मचारियों के सामने दर्शायी गयी है, सम्पूर्ण बिहार राज्य में उक्त नियोजन में नियोजित ऐसी विभिन्न कोटि के कर्मचारियों को भुगतेय होगी।

2. इस प्रकार पुनरीक्षित मजदूरी न्यूनतम दरें उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उप- धारा (1) के खण्ड - (III) के अर्न्तगत होगी।

3. यह अधिसूचना दिनांक 01 दिसम्बर 2016 से प्रभावी होगी।

अनुसूची - 1

अनुसूचित नियाजनों का नाम

1. कॉ-ऑपरेटिव सेक्टर, 2. अल्मुनियम उद्योग, 3. खंडसारी उद्योग, 4. केमिकल एंड फर्मास्यूटिकल उद्योग, 5. साबुन निर्माण उद्योग, 6. सिमेन्ट प्री- स्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स उद्योग, 7. एस्वेस्टस सिमेंट उद्योग, 8. ग्लास शीट निर्माण, 9. बन्दूक कारखाने, 10. धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान, 11. पेपर उद्योग, 12.लौण्ड्रीज एंड वासिंग 13. होजियरी निर्माण, 14. सिन्दुर एवं रंग बनाने का उद्योग, 15. चर्म वस्तु निर्माण, 16. उड वर्क्स फर्नीचर, 17. आइस्कीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स, 18. पेट्रोल एवं डिजल पम्पस, 19. फिशरीज, 20. खादी एवं ग्राम उद्योग, 21. प्राईवेट फेरीज एंड एल.टी. सी., 22. जिल्दसाजी उद्योग, 23. दफ्ती, कार्ड बोर्ड, मील बोर्ड, कारगेरेक बोर्ड, एक्स्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण, 24. इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग, 25. सिमेंट ह्यूम पाईप, बिजली का खंभा एवं रेलवे स्लीपर बनाने का उद्योग, 26. प्लाईउड उद्योग, 27. बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग 28. ढलाई (फाउन्ड्री) उद्योग, 29. रबड़ एवं कम्पाउंड उद्योग, 30. बिस्कुट उद्योग 31. कोल ब्रिकेट उद्योग, 32. सिलाई उद्योग, 33. हैंडलूम उद्योग, 34. निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक्स, 35. डिस्ट्रीलरीज, 36. प्लास्टिक उद्योग, 37. मिनरल ग्राईडिंग उद्योग, 38. शीशा उद्योग (ग्लास शीट छोडकर), 39. डेयरीज एवं पॉल्ट्री फार्मश, 40. स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण, 41. चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं, 42 चावल मिल, आटा मिल एवं दाल मिल, 43. तेल मिल, 44. मुद्रणालय, 45 किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान, 46. पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट, 47. ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले, 48. कोल्ड स्टोरेज, 49. लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित दूकान को छोड़कर 50 से कम कामगार नियोजित करने वाले), 50. बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्य, 51. सड़कों के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माण कार्य, 52. बेकरीज एवं कन्फेक्सनरीज, 53. पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें, 54. होटल, भोजन गृह एवं रेस्तराओं, 55 अबरख कार्य (खादान को छोड़कर)- कारखाना एवं प्रतिष्ठान, 56. सिनेमा उद्योग, 57. किसी भी विश्वविद्यालय शैक्षणिक शोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान, 58 प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी, 59. रिफ्रेक्ट्रीज, फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग, 60. पौट्रीज, 61. ऑटोमोबाईल इंजिनियरिंग शौप्स, 62. हार्ड कोक भट्ठे, 63. कुरियर सेवा, 64. चूड़ा मिल, 65. इलेक्ट्रोकास्टिंग एवं मेटल फर्निसिंग उद्योग, 66. अभियंत्रण उद्योग (50 से अधिक कामगार नियोजित करने वाले), 67. लोहा से छड़ पट्टी, एंगल आदि रोलिंग का कार्य, 68. जूट उद्योग एवं अनुसंगिक कार्य, 69. सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग।

अनूसूची -II

क्र. सं.	कामगारों की श्रेणी	वर्त्तमान में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें	दिनांक 01.04.2016 तक देय परिवर्त्तनशील महंगाई भत्ता	कुल (3+4)	15% पुनरीक्षण का लाभ	निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें दिनांक 01.12.2016 से लागू
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	144.00	62.00	206.00	30.90 = 31.00	237.00 प्रति दिन
2	अर्द्धकुशल	150.00	65.00	215.00	32.25 = 32.00	247.00 प्रति दिन
3	कुशल	183.00	79.00	262.00	39.30 = 39.00	301.00 प्रति दिन
4	अतिकुशल	223.00	96.00	319.00	47.85 = 48.00	367.00 प्रति दिन
5	पर्यवेक्षीय/लिपिकीय	4134.00	1778.00	5912.00	886.80 = 887.00	6799.00 प्रति माह

टिप्पणी

(क) न्यूनतम मजदूरी की उपर्युक्त दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960-100) 6090.00 जो वर्ष, 2015 द्वितीय अर्द्धांश (जुलाई-दिसम्बर) का औसत है, पर आधारित है।

(ख) दिनांक 23.11.2016 को बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद के परामर्श के आलोक में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 43% शून्यीकरण के अतिरिक्त 15% जोड़कर न्यूनतम मजदूरी निर्धारण किया गया है ताकि पुनरीक्षण के फलस्वरूप मजदूरी में वृद्धि वास्तविक रूप से परिलक्षित हो।

(ग) न्यूनतम मजदूरी की दरों का दैनिक मजदूरी की दरों में तथा दैनिक मजदूरी की दरों का मासिक मजदूरी की दरों में 26 से गुणा करके किया जायेगा।

(घ) न्यूनतम मजदूरी की उपर्युक्त प्रस्तावित दरों में सात दिनों की अवधि में विश्राम के दिन के लिए कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक शामिल है।

(च) साप्ताहिक विश्राम के दिन अथवा अन्य किसी दिन समयोपरि कार्य के लिए कामगार बिहार न्यूनतम मजदूरी नियमावली, 1951 के नियम -25 में विहित दर से समयोपरि काम का दो गुणा मजदूरी भुगतान पाने को हकदार होगा।

(छ) पुरुष या स्त्री कामगार एक ही काम या उसी प्रकार के काम के लिए समान दर पर मजदूरी पायेंगे।

(ज) यह भी निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त सूची में 69 नियोजनों में कामगारों को पाँच कोटि में बाँट कर एक ही अधिसूचना निर्गत किया जाय।

स्पष्टीकरण

(क) अकुशल काम से अभिप्रेत है जिसमें बहुत ही कम या कुछ भी नहीं कुशलता या अनुभव की आवश्यकता होती है बल्कि वह बहुत ही साधारण प्रकृति का होता है।

(ख) अर्द्धकुशल काम से अभिप्रेत है वह काम जिसमें काम के अनुभव के आधार पर कुछ डिग्री या कुशलता या क्षमता की आवश्यकता होती है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षम / मार्गदर्शन में किया जा सकता है तथा इसके अर्न्तगत अकुशल पर्यवेक्षण का काम भी है।

(ग) कुशल काम से अभिप्रेत है जिसमें कोई कार्य के अनुभव के आधार पर या किसी तकनीकि या किसी व्यवसायिक संस्थान में शिल्पी के रूप में प्रशिक्षण के आधार पर अर्जित कुशलता या क्षमता की आवश्यकता होती है तथा जिसके सम्पादन के लिए पहल और विवेक की आवश्यकता होती है।

(घ) अतिकुशल काम से अभिप्रेत है वह काम जिसमें सघन तकनीकि या व्यवसायिक प्रशिक्षण या वर्षों के व्यवहारिक कार्य के अनुभव के आधार पर अर्जित कुछ खास कार्यों के सम्पादन में पूर्तियाँ की डिग्री और पूर्ण क्षमता की आवश्यकता होती है और इन कार्यों के निष्पादन के लिए कामगारों में विशेष या विनिश्चयों के लिए पूरी जवाबदेही की आवश्यकता होती है।

(सं. 5/एम. डब्लू.-403/07 श्र. सं.-4971)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से

अरूण कुमार नं०-01

अवर सचिव

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं

05 November
Shri Pushkar Lal
M/s Nirmal Textile

10 November
Shri Rajesh Sinha
M/s ACC Ltd.

12 November
Shri Madhukar Nath Bareria
M/s Lucky Biscuit Company

12 November
Shri Rajeswer Prasad
North Western Bihar Chamber of Commerce & Industries

15 November
Shri Bharat Kr. N. Mehta
Patliputra Sarafa Sangh

23 November
Shri Amar Choudhary
M/s Bhartiya Bastralaya

25 November
Shri Ravi Khetriwal
M/s Ajanta Products

25 November
Shri Subodh Kumar Jain
M/s Asian Traders

25 November
Shri Aditya Jalan
Bihar Abhikaran (P) Ltd.

27 November
Shri Prabhat Kejriwal
M/s Banshal Enterprises

29 November
Shri Rakesh Verma
M/s Shree Shree Krishna Alankar Mandir

02 December
Shri Ashok Kumar Sinha
Advocate

03 December
Shri Pankaj Kumar
Bharati Bhawan (P & D)

03 December
Shri Manas Mitra
M/s Indo National Ltd.

05 December
Shri Harish Kumar Hora
Pushpak Pharmaceuticals

05 December
Shri Manish Agarwal
Cellular Phone Dealer's Association

06 December
Shri Shyam Sundar Hissaria
M/s Janki Enterprises

06 December
Shri Raj Kumar Sarraf
M/s Kumkum

08 December
Shri Ajay Kumar
M/s Chetna

10 December
Shri Prem Nath Khanna
M/s Prem Enterprises

14 December
Shri Birendra Kumar Sah
Basopatti Chamber of Commerce

15 December
Shri Ganesh Kr. Khemka
M/s Gajmukh Trading

17 December
Shri Satyendra Kr. Agarwala
M/s Speedcrafts Ltd.

17 December
Shri N. K. Thakur
M/s Tirupati & Associates

19 December
Shri Mohan Himatsingka
M/s Maurya Motors Ltd

19 December
Shri Rajesh Kr. Sharma
M/s Picasso International

21 December
Shri Rohit Ahluwalia
Ahluwalia Trading Corp.

21 December
Shri Kamal Bidasaria
M/s Ganpati Services

26 December
Shri Tarun Maskara
M/s Manbhawan Traders Pvt. Ltd.

माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वे भी अपना जन्मदिन रंगीन फोटो के साथ हमें भेजने की कृपा करें ताकि उनका जन्मदिन भी समयानुसार बुलेटिन में प्रकाशित कर शुभकामनाएं दी जा सके।

– शशि मोहन, महामंत्री

EDITORIAL BOARD
EDITOR
SHASHI MOHAN
SECRETARY GENERAL

Convenor
Library & Bulletin Sub-Committee
RAMCHANDRA PRASAD

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org